Con. 3. 4.11.47
750

अंक 4
संख्या 11

सोमवार
28 जुलाई,
सन् 1947 ई.

भारतीय विधान-परिषद्

के

वाद-विवाद

की

सरकारी रिपोर्ट

(हिन्दी संस्करण)

विषय-सूची

पृष्ठ

1. परिचय-पत्रों की पेशी और रजिस्टर पर हस्ताक्षर ...1
2. स्टीयरिंग कमेटी के मेंम्बरों का चुनाव ...1
3. संघ विधान समिति की रिपोर्ट ...1

भारतीय विधान परिषद्

सोमवार, 28 जुलाई, सन् 1947 ई.

भारतीय विधान-परिषद् की बैठक कान्स्टीट्यूशन हाल, नई दिल्ली में प्रातः 10 बजे माननीय डॉ. राजेन्द्र प्रसाद की अध्यक्षता में हुई।

परिचय-पत्रों की पेशी तथा रजिस्टर पर हस्ताक्षर

निम्नलिखित सदस्यों ने अपने परिचय-पत्र पेश किए और रजिस्टर पर अपने हस्ताक्षर किये:

1. पण्डित चतुर्भुज पाठक (ओरछा रियासत)

2. मेजर महाराज कुमार पुष्पेन्द्रसिंह जी (पन्ना रियासत)

3. सर ज्वालाप्रसाद श्रीवास्तव (संयुक्त प्रान्त : जनरल)

स्टीयरिंग कमेटी के मेम्बरों का चुनाव

***अध्यक्ष:** सदस्यों को याद होगा कि कार्यवाहक समिति (Steering Committee) के लिये दो सदस्यों को चुना गया था। मैं सहर्ष घोषित करता हूं कि श्री रामचन्द्र मनोहर नलवदे और श्री सुरेशचन्द्र मजूमदार नियमानुसार कार्यवाहक समिति के सदस्य निर्वाचित किए गये हैं, क्योंकि दोनों रिक्त स्थानों के लिए केवल इन्हीं दोनों के निर्वाचन-पत्र प्राप्त हुए हैं।

संघ विधान-समिति की रिपोर्ट

अब हम संघ-विधान सम्बन्धी रिपोर्ट के खण्डों पर विचार करेंगे। खंड 8 पर विचार स्थगित रखा गया था।

***श्री एच.वी. कामत** (मध्य प्रान्त और बरार : जनरल): पहले इसके कि आज के कार्यक्रम पर विचार शुरू हो, मुझे छोटी-सी प्रार्थना करनी है। क्या मैं ऐसा कर सकता हूं? क्या आप कृपा करके यह आदेश देंगे कि यह हमारा राष्ट्रीय झण्डा इस महती सभा के प्रत्येक सदस्य को उपहार के रूप में दिया जाये और वह इसे अपनी सम्पत्ति समझकर प्रेम से सुरक्षित रखें? क्योंकि यह उस ऐतिहासिक

---

*इस चिह्न का अर्थ है कि यह अंग्रेजी वक्तृता का हिन्दी रूपान्तर है।

[श्री एच.वी. कामत]

अवसर की याद दिलाता है कि जब इस सभा ने सहर्ष और सर्वसम्मति से इसको स्वीकृत किया था और जबकि एक महान् स्वतन्त्र राज्य का जन्म हुआ था।

***अध्यक्षः** यह ऐसी बात है जिसमें थोड़े से विचार की आवश्यकता है। कार्यवाहक समिति के साथ परामर्श करने के पश्चात् मैं इस सम्बन्ध में वक्तव्य दूंगा।

***मि. तजम्मुल हुसैन** (बिहार : मुस्लिम): मैं यह जानना चाहता हूं, क्या यह अधिवेशन पहली अगस्त को समाप्त हो रहा है? यह जानकारी इसलिए आवश्यक है कि हमको अपनी सीटों का पहले ही से प्रबन्ध करना पड़ेगा।

***अध्यक्षः** आज प्रातःकाल से मैं इस विषय पर सोच रहा हूं। हम वाक्य-खण्डों पर विचार करने में बड़ी मन्द गति से चल रहे हैं। जिस गति से हम अपना कार्य कर रहे हैं, उससे मुझे पता नहीं कि हम 31 जुलाई से पूर्व सभी वाक्य-खण्डों पर विचार-सम्बन्धी कार्य समाप्त कर सकेंगे या नहीं। मुझे स्वयं चिन्ता है कि यह अधिवेशन 31 जुलाई तक समाप्त हो जाए, ताकि सदस्य चले जाएं और फिर 15 अगस्त को वापस आ जाएं। जब वह यहां वापस आयें तो हमको अधिवेशन के लिए थोड़ा-सा समय मिल जाए, जिसमें हम संघ-विधान-समिति (Union Power Committee) और परामर्शदातृ-समिति (Advisory Committee) की रिपोर्टों और इसके अतिरिक्त कुछ और विषयों पर विचार कर सकें। जहां तक मुझे बताया गया है, मैं समझता हूं कि हम 31 जुलाई तक यह अधिवेशन समाप्त कर सकेंगे। परन्तु मैं आशा करता हूं कि सदस्य इस बात को ध्यान में रखेंगे। जहां तक सम्भव हो वाद-विवाद में वे समय कम लगाएं, पर साथ ही यह भी हो कि इस पर विचार पूर्णरूपेण हो और 31 जुलाई तक रिपोर्ट पर विचार हम समाप्त कर दें। इस प्रयोजन के लिए अभी चार दिन और हमारे हाथ में हैं।

***मि. तजम्मुल हुसैनः** क्या मैं एक बात पूछ सकता हूं? क्या हम यह समझ लें कि यह अधिवेशन 31 जुलाई तक समाप्त हो ही जायेगा, चाहे Union Committee की रिपोर्ट समाप्त हो या न हो? हमको अपनी सीटों का पहले से ही प्रबन्ध करना होगा। यह अधिक उचित होगा कि निश्चित रूप से इसके लिए एक दिन नियत कर दिया जाए, चाहे कार्य समाप्त हो या न हो।

***अध्यक्षः** मुझे जो सूचना मिली है, उसके अनुसार मैंने अभी कहा है कि 31 जुलाई इस अधिवेशन का आखिरी दिन होगा।

हमने 7 और 8 दो वाक्य-खण्डों पर वाद-विवाद स्थगित कर दिया था। क्या हम अब उनके विषय में विचार कर सकते हैं?

***माननीय सर एन. गोपालस्वामी आयंगर** (मद्रास : जनरल): हम अब वाक्य-खण्ड 8 (क) पर विचार कर सकते हैं, जिसे सर अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर ने पेश किया था और जिस पर वाद-विवाद स्थगित रखा गया था।

***अध्यक्षः** मैं समझता हूं कि हमने वाक्य-खण्ड 8 स्वीकृत कर लिया है। अब हम वाक्य-खण्ड 8 (क) पर विचार करेंगे जिसे सर अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर ने पेश किया था। मुझे पता नहीं कि वह सदस्यों के सामने है या नहीं। परन्तु उसको मैं पढ़कर सुना दूंगा।

"वाक्य-खण्ड 8 के पश्चात् निम्नलिखित नया वाक्य-खण्ड रखा जाए:

'8 (क)–(1) संघीय सरकार, संघ में शामिल होने वाली किसी भारतीय रियासत से समझौता करके, पर विधान के उन आदेशों के अधीन जो भारतीय संघ तथा उस में सम्मिलित होने वाली रियासत के पारस्परिक सम्बन्ध के बारे में हो, उस रियासत के कानून-निर्माण-सम्बन्धी, शासन-प्रबन्ध-सम्बन्धी तथा न्याय-सम्बन्धी किसी भी कार्य का सम्पादन-भार स्वयं ग्रहण कर सकती है।

(2) भारतीय संघ में न सम्मिलित होने वाली किसी भारतीय रियासत से किया गया कोई भी समझौता ऐसे किसी कानून के अधीन होगा तथा उस पर ऐसा कोई कानून लागू होगा जो संघीय पार्लियामेंट के वैदेशिक अधिकार-क्षेत्र के प्रयोग के सम्बन्ध में हो।

(3) यदि ऐसे किसी समझौते के अन्तर्गत कोई ऐसा मामला आ जाता हो, जो प्रान्तीय विधान के खण्ड 8 के अनुसार किये जाने वाले एक प्रान्त और रियासत के पारस्परिक समझौते के अन्दर आता हो तो उस हालत में उक्त खण्ड 8 रद्द समझा जायेगा।

(4) उपवाक्य-खण्ड (1) के आदेशों के अधीन समझौते के सम्पन्न होने पर, संघ-समझौते की शर्तों के अधीन, कानून-निर्माण सम्बन्धी,

[अध्यक्ष]

शासन प्रबन्ध सम्बन्धी तथा न्याय सम्बन्धी कर्त्तव्यों को जो समझौते में निर्धारित किये गए हों, समुचित अधिकारी द्वारा प्रयोग में ला सकता है'।"

यदि कोई सदस्य इस वाक्य-खण्ड के विषय में कुछ कहना चाहता है तो कह सकता है।

मैं अभी देखूंगा, वाक्य-खण्ड 8 (क) के सम्बन्ध में कोई संशोधन आए हैं या नहीं।

***श्री बी.एम. गुप्ते** (बम्बई : जनरल): श्रीमान्, यह मौखिक (verbal) संशोधन है और वह यह है कि–प्रस्तुत खण्ड 8 (क) के उप-खण्ड 3 में जो 24-7-47 की पूरक सूची के नम्बर 5 के प्रकरण में आता है, वहां "the latter" शब्द के बाद यह सम्मिलित कर दिया जाए "to the extent it is covered by the agreement with the Federation."

***सर अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर** (मद्रास : जनरल): मैं संशोधन स्वीकार करता हूं।

***अध्यक्ष** क्या कोई और सज्जन इसके विषय में कुछ कहना चाहते हैं?

(कोई बोलने के लिए खड़ा नहीं हुआ।)

अब मैं इस संशोधन के बारे में मत लूंगा। यह सर अल्लादी द्वारा स्वीकृत हो गया है।

"प्रस्तुत खण्ड 8 (क) के उपखण्ड 3 में जो 24-7-47 पूरक सूची 1 के नम्बर 5 के प्रकरण में आता है, वहां 'the latter' शब्द के बाद यह सम्मिलित कर दिया जाये 'to the extent it is covered by the agreement with the Federation."

संशोधन स्वीकार कर लिया गया।

***अध्यक्ष:** अब मैं इस खण्ड Clause को संशोधित रूप में आपके आगे रखूंगा।

खण्ड संशोधित रूप में स्वीकार कर लिया गया।

वाक्य-खण्ड 10

***अध्यक्ष:** अब हम खण्ड 10 को लेते हैं।

***माननीय पं. जवाहरलाल नेहरू** (संयुक्त प्रान्त : जनरल): श्रीमान्, खण्ड 10 बहुत सरल है। वह यों है:

"मन्त्रियों का एक मण्डल होगा, जिसका नेता होगा प्रधान-मंत्री और यह मण्डल राष्ट्रपति को काम चलाने में सहायता और सलाह देगा।"

मैं इसे उपस्थित करता हूं।

***अध्यक्ष:** और कई संशोधन हैं, जिनकी मुझे सूचना मिली है। श्रीमान् पोकर साहब बहादुर अपना संशोधन उपस्थित करेंगे।

***हाजी अब्दुल सत्तार हाजी इशहाक सेठ** (मद्रास : मुस्लिम): वह चले गए हैं, परन्तु उन्होंने मुझे और दो-एक और सदस्यों को इन संशोधनों को पेश करने का अधिकार दिया है।

***अध्यक्ष:** मि. अहमद इब्राहीम साहब बहादुर!

***हाजी अब्दुल सत्तार हाजी इशहाक सेठ:** यह दोनों चले गए हैं। मुझे पता नहीं कि आप इस संशोधन को पेश करने की मुझे आज्ञा देंगे या नहीं।

***अध्यक्ष:** कोई अन्य सदस्य इसको पेश कर सकता है। क्या आप इसको पेश करना चाहते हैं?

***हाजी अब्दुल सत्तार हाजी इशहाक सेठ:** मैं प्रस्ताव करता हूं कि:

"खण्ड 10 के स्थान में निम्नलिखित अंश रखा जाये:

'मंत्रियों का एक मण्डल होगा, जो राष्ट्रीय परिषद् (National Assembly) द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धान्त के आधार पर एकाकी हस्तान्तरित मत-पद्धति से चुना जायेगा और वह मन्त्रिमण्डल राष्ट्रीय परिषद् के प्रति उत्तरदायी रहेगा।"

श्रीमान्, मैं नहीं समझता कि इस पर मुझे कोई लम्बा-चौड़ा व्याख्यान देने की आवश्यकता है। संशोधन सरल और स्पष्ट है और मुझे आशा है कि सभा इसको स्वीकार करेगी।

मैं इसे पेश करता हूं।

[हाजी अब्दुल सत्तार हाज़ी इशहाक सेठ]

(संशोधन नं. 213, 214, 215, 216 और 217 उपस्थित नहीं किए गए।)

***श्री एच.वी. पातस्कर** (बम्बई : जनरल): मैंने इस संशोधन की सूचना यह स्पष्ट करने के लिए दी है कि सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धान्त मन्त्रियों की सभा पर लागू होगा, जो इस वाक्य-खण्ड के अनुसार नियुक्त किए जायेंगे।

मैं संशोधन नं. 218 को पेश नहीं करना चाहता, क्योंकि सर एन. गोपालस्वामी आयंगर ने इसी तरह के एक संशोधन की सूचना दी है जो पूरक सूची में है।

पं. ठाकुरदास भार्गव (पूर्वी पंजाब : जनरल): अध्यक्ष महोदय, यह तरमीम, जिसे मैं पेश करना चाहता हूं, वह इस तरह पर है:

"कि क्लाज 10 के आखिर में यह जोड़ दिया जाये:

'The Prime Minister shall select the other Ministers and the whole ministry shall be responsible to the legislature and act on the principle of joint responsibility in the discharge of the duties of the Ministry'."

मुझे यह कहने की जरूरत नहीं है कि ओब्जेक्टिव रिज़ोल्यूशन में यह आम तय पा चुका है कि हिन्दुस्तान की यूनियन में डिमोक्रेटिक कार्य की गवर्नमेंट होगी। सवाल जो इस वक्त हल तलब है वह यह है कि आया डिमोक्रेटिक गवर्नमेंट के मेम्बर रिसपांसिबिल टाइप के होंगे या प्रेसीडेंट टाइप के, जैसा कि अमेरिका में है। जहां तक प्रोविन्सियल कांस्टीट्यूशन का सवाल है, वहां हम इस उसूल को मान चुके हैं कि सूबों में रिसपांसिबिल डिमोक्रेटिक गवर्नमेंट होगी सिवाय ज़रा से फर्क के जो गवर्नर की पावर्स के मुताल्लिक है। यूनियन गवर्नमेंट में जो उसूल माना जाना चाहिए वह यह है कि प्राइम मिनिस्टर ऐडमिनिस्ट्रेशन का पाइवाट होगा और इसको पूरे अख्तियारात हासिल होंगे और प्रेसीडेंट साहब महज़ कान्स्टीट्यूशनल हैड होंगे। कान्स्टीट्यूशनल हैड को कोई इनडिविजुअल पावर या डिस्क्रीशन नहीं दिये गये हैं। और जो कुछ प्रेसीडेंट साहब करेंगे वह मिनिस्टर साहब की ऐडवाइस पर होगा। यह एक ऐसा उसूल है जिसको एक भारी उसूल कहना चाहिए। ब्रिटिश

माडल की इस उसूल की वजह से सारी दुनिया उसकी नकल करती है और यही माडल है जिसके अन्दर एग्जीक्यूटिव पावर्स का पूरा विकास लोगों की भलाई के लिए होता है। यूनियन कमेटी ने बहुत गौर व खोज करने के बाद अमरीकन प्रेसीडेंशियल हक को पसन्द नहीं किया। इसलिए यह अमेंडमेंट एक फार्मूला-सा ब्रिटिश माडल का बन जाता है। गोकि हाउस पहले से ही कमिटेड है। लेकिन फिर भी यूनियन कान्स्टीट्यूशन में यह साफ तौर से दर्ज होना चाहिए कि प्राइम मिनिस्टर की वायस (voice) फाइनल वायस (final voice) होगी और प्रेसीडेन्ट महज़ उस पर साद करेंगे। कोई मौक़ा ऐसा नहीं होगा कि जब प्राइम मिनिस्टर की राय ठुकरा दी जाये।

दूसरी बात यह है कि प्राइम मिनिस्टर साहब को हक होगा कि वह अपने मिनिस्टर्स को पसन्द करें और कलेक्टिव रिसपांसिबिलिटी के उसूल को माना जायेगा।

मुझे इस बात पर ज्यादा जोर देने की जरूरत नहीं है और मैं अर्ज करूंगा कि यह उसूली तीनों तरमीमें जो पेश की गयी हैं वह कबूल कर ली जायें और पास की जायें।

***श्री एच.वी. कामत:** श्रीमान्, मेरा संशोधन पं. ठाकुरदास भार्गव के संशोधन के अन्तर्गत आ जाता है। इस कारण मैं अपने संशोधन को पेश नहीं करना चाहता।

***काजी सैयद करीमुद्दीन** (मध्य प्रान्त और बरार : मुस्लिम): श्रीमान्, मेरा संशोधन इस प्रकार है कि:

"वाक्य-खण्ड 10 के अन्त में निम्नलिखित अंश जोड़ दिया जाए:

'भारतीय संघ की शासन-प्रबन्ध सभा अपरिषदात्मक (non-parliamentary) होगी, इस अर्थ में कि व्यवस्थापिका सभा के कार्यकाल के पहले वह नहीं हटाई जायेगी। पर मन्त्रिमण्डल अथवा मंत्रिमण्डलों के सदस्यों को भ्रष्टाचार अथवा राजद्रोह या छल के अपराध के कारण न्यायालय के समक्ष सार्वजनिक दोषारोपण करके हटाया जा सकता है। प्रधान मंत्री समूची सभा द्वारा एकाकी हस्तान्तरित

[काजी सैयद करीमुद्दीन]

मत-पद्धति से चुना जायेगा। मन्त्रिमण्डल के अन्य मन्त्री एकाकी हस्तान्तरित मत-पद्धति से चुने जायेंगे'।"

श्रीमान्, इस प्रश्न के सम्बन्ध में प्रान्तीय समिति (Provincial Committee) की सिफारिशों को स्वीकार करने के समय वाद-विवाद हुआ था, परन्तु जबकि हम संघ-विधान पर विचार कर रहे हैं तो वह निर्णय यहां लागू नहीं है। मेरी प्रार्थना है कि सन् 1935 के कानून (Act) के अनुसार भारत में जो परिषदात्मक पद्धति चल रही है, वह जहां तक स्थानीय स्वराज्य, स्थानीय बोर्ड या म्युनिसिपैलिटियों का सम्बन्ध है, बुरी तरह नाकाम रही हैं। आपने देखा होगा कि सारे भारत में गतिरोध होते रहे हैं और जैसा कि मुस्लिम लीग के योग्य नेता ने कहा था--यह पद्धति जनता की चित्तवृति के अनुकूल नहीं है। प्रान्तीय व्यवस्थापिका सभाओं में कुछ सफलता हुई, क्योंकि उस समय कांग्रेस अंग्रेजों से लड़ रही थी और सारे विरोधी दलों ने इस पद्धति को मान लिया था। पाकिस्तान की स्थापना मुस्लिम लीग का उद्देश्य था, बहुत से मुस्लिम सदस्य मुस्लिम लीग के टिकट पर चुने गए थे, परन्तु अंग्रेजी राज्य के समाप्त हो जाने पर, यदि जनता को स्वतन्त्र करने के कोई साधन नहीं होंगे और मुस्लिम लीग को पाकिस्तान प्राप्त हो जायेगा तो भारत में दलों और गुटों की रेल-पेल हो जायेगी। साम्यवादी, समाजवादी, लीग वाले और बहुत से दूसरे प्रकट हो जायेंगे। वह बहुमत, जो भूतकाल में मिलता रहा है, बिल्कुल असम्भव हो जायेगा। बहुत से दल प्रकट हो जायेंगे और यह आशा करना कि हमारी सरकार की ठोस और पक्की स्थिरता होगी, यह कोरी कल्पना मात्र है। हमने भूतकाल में देख लिया है कि प्रांतों में प्रांतीय विधान को कार्यान्वित करने में विपक्षी दल की अवहेलना और उपेक्षा की गई थी और समय-समय पर उन्हें दण्ड भी दिया गया। हमने यह भी देख लिया है कि जो परिषदात्मक प्रथा आजकल चल रही है, उसने पक्षपात का मार्ग खोल दिया है, जिससे उन्हीं लोगों को लाभ होता है जो मंत्रिमण्डल का समर्थन करते हों। मन्त्री लोग अपने दल के सदस्यों की सेवा अधिक करते थे और जनता की कम। मन्त्री अपने राष्ट्र का तुच्छ सेवक नहीं था बल्कि वह उनका सेवक था जो उसके मन्त्रित्व का समर्थन करते थे। इसी कारण मैं कहता हूं कि यह कार्य-पद्धति भूतकाल में सफल नहीं हुई। इस समय जब भारत स्वतन्त्रता के उच्च उद्देश्य को प्राप्त कर रहा है, हम अपने चारों ओर अग्नि-काण्ड, हत्या-काण्ड और लूट-मार ही देखते हैं। यह

क्यों? इसका यही कारण है कि हमारी दुर्बल शासन-प्रबन्ध-सभा उन मन्त्रियों से बनी है, जिनकी सत्ता ऐसे लोगों पर निर्भर है जो जातीय भेद और तनातनी को चाहते हैं। हर एक पुरुष पं. जवाहरलाल नेहरू नहीं है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जब बिहार गए थे तो उन्होंने घोषणा की थी कि बिहार निवासियों पर गोले फेंके जायेंगे यदि उन्होंने यह लड़ाई-झगड़े जारी रखे। इसके बरखिलाफ़ सारे भारत में एक भी हिन्दू या मुस्लिम मन्त्री नहीं था, जिसने यह रुख अपनाया हो। कंकर-पत्थर बहुत हैं, पर हीरा दुर्लभ है। हमको आज आवश्यकता है एक दृढ़ और स्थिर शासन की, एक देशहितैषी शासन-व्यवस्था की। हमको आज एक मज़बूत सरकार की आवश्यकता है, जो निष्पक्ष और निर्भय हो और जो जनता की सनक के आगे सिर न झुकाए। सब प्रांतों में हमारे मन्त्रि-वर्ग आज निर्बल और डावांडोल हैं, जो अपने दल के सदस्यों की इच्छा के अनुकूल चलते हैं और उनको-जिनके बल पर वह वहां उपस्थित हैं—अप्रसन्न करना उनके लिए असम्भव हो जाता है। यह कहा जाता है कि शासन की परिषदात्मक प्रथा लोकतन्त्रीय (Democratic) शासन-प्रणाली है। अमरीका लोकतन्त्रीय देश है और शासन-विधान-जो वहां चालू है—वह भी लोकतन्त्रीय है। हम देखते हैं कि वहां की शासन-प्रबन्ध-सभा अपरिषदात्मक है और देश की सारी शासन पद्धति तीन भागों में बांटी गई है। एक न्याय-विभाग (Judiciary), दूसरा शासन-प्रबन्ध विभाग और तीसरा कानून निर्माण-विभाग। शासन-प्रबन्ध के लिए यह नामुमकिन हो जाता है कि वह कानून निर्माताओं की नीति की अवहेलना करे और उधर न्याय-विभाग (Judiciary) है, जो शासन-प्रबन्ध की ज्यादती रोकता है। ऐसी दशा में जबकि चारों ओर जातीय तनातनी चल रही है और देश में अनेक भेद उत्पन्न करने वाली शक्तियां मौजूद हैं, कोई दूसरा मार्ग ही नहीं है, सिवाय इसके कि एक ऐसी शासन-प्रबन्ध-सभा हो जिसको व्यवस्थापिका न हटा सके। अभी उस दिन जबकि प्रांतीय विधान पर विचार करते समय एक संशोधन उपस्थित किया गया था, उस समय डाक्टर पट्टाभि ने—यद्यपि भावावेश में बोले, तो भी—उच्च दृष्टिकोण से यह बताना चाहा था कि अपरिषदात्मक शासन-प्रबन्ध-व्यवस्था भारतीय स्थिति के अनुकूल नहीं है। पर उसके बदले में उन्होंने भारत में पृथक चुनाव के सम्बन्ध में चर्चा की। वह साम्प्रदायिक निर्णय (Communal Award) के सम्बन्ध में बोले, जिसका कोई प्रसंग न था। अमरीका में साम्प्रदायिक प्रश्न नहीं है, तो भी वहां अपरिषदात्मक शासन-प्रबन्ध-व्यवस्था स्वीकृत की गई है। इस देश में अनेक धर्म हैं, अनेक धारणायें हैं और नाना

[काजी सैयद करीमुद्दीन]

संस्कृतियां हैं। भारत के इतिहास के इस संकटपूर्ण समय में जब हम आन्तरिक झगड़ा नहीं चाहते और जब हम ऐसी प्रबल शासन-पद्धति चाहते हैं, जो उपद्रवों को शान्त करने में समर्थ हो, तो यह आवश्यक है कि अन्तरिम-काल में एक ऐसी परिषदात्मक शासन-प्रबन्ध-सभा हो जो हटाई न जा सके। भारत की जनता की मुक्ति इसीमें है। न इसमें पक्षपात होगा, न कोई अपने सम्बन्धियों पर अनुचित अनुग्रह कर सकेगा। अब मैं सभा से प्रार्थना करूंगा कि वह संशोधन को स्वीकृत करे।

***श्री डी.एच. चन्द्रशेखरिया** (मैसूर): श्रीमान्, मेरा संशोधन इस आशय का है कि–"ऐसी व्यवस्था होनी चाहिये जिससे मन्त्रिमण्डल में रियासतों को यथेष्ट प्रतिनिधित्व प्राप्त हो।" मैं इससे अधिक नहीं कहना चाहता कि इस संशोधन में जो बात कही गई, उस पर उस समय कृपया विचार किया जाए जबकि मन्त्रिमण्डल की वस्तुत: रचना होने लगे। मैं इस पर जोर देना नहीं चाहता।

***अध्यक्ष:** श्रीमान् गोकुल भाई भट्ट!

***श्री गोकुलभाई डी. भट्ट** (राजपूताना स्टेट समूह): अध्यक्ष महोदय, 20वीं धारा में यह कहा गया है कि कौंसिल आफ मिनिस्टर्स होगी और उसके बड़े वज़ीर भी होंगे। लेकिन उसमें यह नहीं कहा गया है कि मंत्रिमण्डल किस तरह से चुना जायेगा या पसन्द किया जायेगा। मंत्रिमंडल में मंत्री पार्लियामेंट के सदस्य होंगे या न होंगे, उनके पार्लियामेंट के सदस्य बनने में कौन-कौनसी धाराएं लागू होंगी, उनकी तनख्वाह कितनी होनी चाहिए और उस तनख्वाह में रद्दोबदल हो सकता है या नहीं; इन सब बातों के बारे में यहां कोई ज़िक्र नहीं किया गया है। मैं यह कहता था कि हमारे प्रान्तीय विधान के मस्विदे में इसके बार में साफ़तौर पर बतला दिया गया है कि ये सब बातें इस रीति से की जायेंगी। यहां भी अगर यह सब बतला दिया जाता तो बहुत अच्छा होता। लेकिन हमारे विधान-विशारद और कानून जानने वाले यह कहते हैं कि यह यूनियन की बात है, सेन्टर की बात है। इसको ज्यादा लम्बा-चौड़ा लिखने से फायदा नहीं होगा। जब वह ड्राफ्ट किया जायेगा और सब बातें सामने आयेंगी तो सब कुछ साफ़ हो जायेगा। मैं ज़रूर यह मानता हूं कि मंत्रिमण्डल किस रीति से चुना जाना चाहिए, उसके बारे में ज़रूर ज़िक्र होना चाहिए। लेकिन उनका आश्वासन मिल गया है कि यह सब चीज़ें

जैसा कि प्रान्तीय विधान में रखी गयीं हैं उसके मुआफ़िक होंगी। इस आशा से और उनकी इस राय और सलाह से कि यह संशोधन न रखा जाये, मैं यह संशोधन नहीं रखना चाहता हूं।

***अध्यक्षः** श्री गुप्ते!

(कोई उत्तर नहीं।)

सर एन. गोपालस्वामी आयंगर!

***माननीय सर एन. गोपालस्वामी आयंगरः** श्रीमान्, यह वाक्यखण्ड, जैसा कि इसका वर्त्तमान स्वरूप है, इस विषय में कुछ नहीं बताता कि मंत्रिमण्डल कैसे चुना जायेगा और न यह बताता है कि कानून निर्माताओं के प्रति उसका उत्तरदायित्व किस प्रकार का होगा। इस विषय में अनेक संशोधन किए गए हैं, ताकि इन विषयों से सम्बन्ध रखने वाली सब आवश्यक बातें इनमें शामिल हो जाएं। इसी कारण मैंने इस संशोधन की सूचना दी है कि वाक्य-खण्ड 10 के अन्त में निम्नलिखित अंश जोड़ दिया जाएः

"प्रधान मंत्री राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जायेगा और दूसरे मंत्रियों को राष्ट्रपति प्रधान-मंत्री की सलाह से नियुक्त करेंगे। मंत्रिमण्डल लोकसभा (House of People) के समक्ष सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगा।"

इस संशोधन के अन्तर्गत आने वाली बातों को बताने के लिए मुझे बहुत थोड़ा ही कहना है, मन्त्रिमण्डल को बनाने के लिए राष्ट्रपति प्रधान मन्त्री को बुलावा देंगे। स्वाभाविक है कि परम्परा के अनुसार राष्ट्रपति उसी दल के नेता को बुलायेगा जो दल स्वयं या सभा में और दलों की सहायता से जोरदार बहुमत रखता होगा। दूसरे मन्त्रियों को राष्ट्रपति प्रधान मन्त्री की सलाह से चुनेंगे। नीचे वाली सभा (Lower House) यानी लोकसभा (House of People) के प्रति मन्त्रिमण्डल उत्तरदायी हो, इसकी व्यवस्था की जायेगी। साधारणतः उसी सभा यानी निचली सभा के सामने ही मन्त्रिमण्डल उत्तरदायी होता है, न कि समूची पार्लियामेंट के समक्ष। मैं देखता हूं कि एक संशोधन में यह कहा गया है कि उत्तरदायित्व पृथक और सम्मिलित दोनों प्रकार का हो। मेरा यह विचार नहीं है कि राज्य को उस प्रथा की नकल करनी चाहिए, जो प्रायः साधारण-जन और बोर्ड आफ डाइरेक्टर्स के

[माननीय सर एन. गोपालस्वामी आयंगर]

बीच में प्रचलित है। मेरी समझ से इतना काफी है कि हम यह व्यवस्था कर दें कि मन्त्रिमण्डल सामूहिक रूप से निचली सभा के सामने उत्तरदायी होगा। इन शब्दों के साथ मैं यह संशोधन पेश करता हूं।

***अध्यक्षः** श्री मोहनलाल सक्सेना!

(कोई उत्तर नहीं।)

यही वह संशोधन हैं जिनकी मुझे सूचना मिली है। खण्ड और संशोधन पर वाद-विवाद हो सकता है।

***मि. तजम्मुल हुसैनः** श्रीमान्, खण्ड 10 कहता है कि एक मन्त्रिमंडल होगा और प्रधान मंत्री उसका नेता होगा और यह मण्डल राष्ट्रपति को उसके कार्य चलाने में सहायता और परामर्श देगा। श्रीमान्, इस खण्ड में इस बात का उल्लेख नहीं किया गया है कि मन्त्रिमण्डल किस प्रकार बनाया जाए। इस कारण श्रीमान्, एक संशोधन आगे रखा गया है और वह यह है कि हर एक मन्त्री व्यवस्थापिका (Assembly) द्वारा चुना जायेगा और मंत्रियों का यह चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धान्त के आधार पर एकाकी हस्तान्तरित मत-पद्धति से होगा, और यह मन्त्रिमंडल व्यवस्थापिका के समक्ष उत्तरदायी होगा। श्रीमान्, अब हम इस संशोधन को दो भागों में बांट सकते हैं। पहला भाग तो यह है कि मन्त्री सभा से चुने जाएं और दूसरा भाग यह है कि मन्त्रिमण्डल व्यवस्थापिका के समक्ष उत्तरदायी रहेगा। दूसरे भाग के विषय में मैं पूर्णतया सहमत हूं, यदि मन्त्रिमण्डल के पीछे बहुमत नहीं होगा तो वह अपने पद पर स्थित नहीं रहेंगे, और यदि उनके विरुद्ध अविश्वास का वोट पास हुआ तो भी उनको अपना पद छोड़ना पड़ेगा। इस कारण संशोधन के इस भाग की मैं प्रशंसा करता हूं। परन्तु दूसरे भाग के विषय में--जिसमें यह कहा गया है कि मंत्रियों का चुनाव व्यवस्थापिका (Assembly) करेगी--मुझे भय है कि मैं उससे सहमत नहीं हो सकता। यदि मन्त्रिमण्डल व्यवस्थापिका के सदस्यों द्वारा चुना जाए और वह चुनाव यदि आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकाकी हस्तान्तरित मत-पद्धति से हो तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगा? हो सकता है कि एक छोटा दल हो और वह आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकाकी हस्तान्तरित मत-पद्धति से चुनाव हो तो वह छोटा दल अपना एक मंत्री चुनने में सफल हो जाए। श्रीमान्, और उस अल्पसंख्यक

दल के वैसे ही राजनैतिक विचार न हों जैसे कि बहुसंख्यक दल के हों, तो ऐसी परिस्थिति में मन्त्रिमण्डल में जो मन्त्री होंगे उनके भाव और विचार पृथक-पृथक दो प्रकार के होंगे। अब श्रीमान्, यदि ऐसा हो तो मन्त्रिमण्डल में एक मत से कार्य नहीं चलेगा और वह मन्त्रिमण्डल स्थिर नहीं कहा जा सकेगा। हमने अच्छी प्रकार देख लिया है कि अंग्रेज़ी प्रथा इंग्लैण्ड में शताब्दियों से चालू है और इसके द्वारा सफलता से कार्य होता रहा है। इंग्लैण्ड में क्या होता है? राज्य का नायक अर्थात् राजा नेता को आमंत्रित करता है और वही नेता प्रधान मंत्री नियुक्त किया जाता है। वह प्रधान मंत्री दूसरे मंत्रियों के नाम बताता है। राज्य का नायक अर्थात् राजा प्रधानमंत्री से सलाह करके और सब मंत्रियों को नियुक्त करता है। ऐसी परिस्थिति में मंत्रिमंडल स्थिर रहता है, क्योंकि जब सभा में प्रधान मंत्री का बहुमत रहता है तो वह कार्य संचालन कर सकता है, अन्यथा नहीं। परन्तु मैं यह अच्छा नहीं समझूंगा कि मंत्रिमण्डल में दो भिन्न विचार-धाराओं के मन्त्री हों।

श्रीमान्, अब एक दूसरा संशोधन इस आशय का है कि संघ (Union) की शासन-प्रबन्ध-समिति अपरिषदात्मक होगी और वह हटाई भी नहीं जा सकेगी। परन्तु मन्त्रिमण्डल के सदस्य को भ्रष्टाचार आदि के कारण न्यायालय के समक्ष सार्वजनिक दोषारोपण से हटाया जा सकता है। और संशोधन में यह बात भी है कि प्रधान मंत्री एकाकी हस्तान्तरित मत-पद्धति के आधार पर सारी सभा द्वारा चुना जायेगा, जब कि दूसरे सारे मंत्री एकाकी अहस्तान्तरित मत-पद्धति से चुने जायेंगे।

यह संशोधन भी चार भागों में बांटा जा सकता है। पहला भाग यह है कि मन्त्रिमण्डल अपरिषदात्मक होगा और वह हटाया भी न जा सकेगा। अपरिषदात्मक मन्त्रिमण्डल को मैं नहीं पसन्द कर सकता। यह बात प्रजातन्त्रीय सिद्धान्त के विरुद्ध सी प्रतीत होती है। यदि सभा मन्त्रिमण्डल में विश्वास नहीं करती, तो उसे मन्त्रिमण्डल को हटा देना चाहिए। ऐसा मन्त्रिमण्डल एक क्षण भी नहीं टिकना चाहिए, जिसमें सभा को विश्वास नहीं है।

दूसरा भाग यह है कि मन्त्री लोग न्यायालय के समक्ष सार्वजनिक दोषारोपण से हटाये जा सकते हैं। यह बात मैं पसन्द नहीं कर सकता। यदि किसी मंत्री में सभा का विश्वास नहीं है और उसके विरुद्ध कोई अभियोग है, तो इस अभियोग को व्यवस्थापिका सभा के आगे लाकर उस मंत्री को हटा दिया जाए। उसको

[मि. तजम्मुल हुसैन]

न्यायालय में क्यों घसीटा जाए? मैं नहीं समझ सकता कि यह सिद्धान्त हमारे जैसे लोकतन्त्रीय देश में किस प्रकार कार्यान्वित किया जा सकता है?

और तीसरा भाग यह है कि सारी सभा को एकाकी हस्तान्तरित मत-पद्धति से प्रधानमन्त्री को चुनना चाहिए। मन्त्रिमण्डल के अन्य मन्त्री एकाकी अहस्तान्तरित मत-पद्धति से चुने जाएं। मैं नहीं समझता कि इस व्यवस्था में माननीय प्रस्तावक महोदय क्या हित देखते हैं? यदि सारी सभा एक पुरुष को चुने तो वही पुरुष चुना जायेगा, जिसके पक्ष में बहुसंख्यक सदस्य होंगे। कल्पना कीजिए कि सभा में 150 सदस्य हैं और उसमें एक वर्ग है--वह प्राचीन कांग्रेस या प्राचीन लीग नहीं है, क्योंकि हिन्दुस्तान में अब ये न होंगे। अब दलों का निर्माण भिन्न आधार पर होगा--खैर उस सभा में जो वर्ग है वह समझ लीजिए कि वह समाजवादी वर्ग है और उसकी संख्या 100 है और विरोधी दल की संख्या 50 है।

***काज़ी सैयद करीमुद्दीनः** श्रीमान्, पूजनीय सदस्य को यह कैसे मालूम हुआ कि यहां लीग या कांग्रेस दल नहीं होगा?

***श्री तजम्मुल हुसैनः** मुझे प्रसन्नता हुई कि मुझसे यह प्रश्न पूछा गया है। श्रीमान्, ऐसे दल अब सभा में नहीं होने चाहिएं। पूर्ण स्वतन्त्रता ही प्राप्त करना कांग्रेस का उद्देश्य था जिसमें कोई विदेशीय प्रभाव न रहे और उसने यह स्वतन्त्रता प्राप्त कर ली। कांग्रेस को अपने मनोरथ की प्राप्ति हो गई। लीग का उद्देश्य देश का बंटवारा और पाकिस्तान की प्राप्ति थी और लीग को वह प्राप्त हो गया। दोनों वर्गों ने अपने अपने उद्देश्य को प्राप्त कर लिया और उनका कार्य समाप्त हो गया। जो कांग्रेस चाहती थी वह कांग्रेस को प्राप्त हो गया और जो लीग चाहती थी, उसकी लीग को प्राप्ति हो गई। अब दोनों वर्गों में कोई भेद नहीं है। हम सब भारत में रहते हैं और भारतीय हैं। लेकिन, हमारे अधिकारों की रक्षा अवश्य होनी चाहिए।

***अध्यक्षः** माननीय सदस्य को अपने विषय के अन्दर ही रहना चाहिए। कांग्रेस और लीग के भविष्य पर सभा में विचार नहीं हो रहा है।

***श्री तजम्मुल हुसैनः** माननीय प्रस्तावक महोदय ने मुझसे यह बताने के लिए कहा कि मैंने ऐसा क्यों कहा कि अब न लीग रहेगी और न कांग्रेस। मेरा विचार

था कि यह बताने के लिए आपकी आज्ञा है, परन्तु अब आप आज्ञा नहीं देते। इस कारण मैं अब इस विषय के सम्बन्ध मे कुछ अधिक नहीं कहूंगा। मैं केवल इतना ही कहूंगा कि इन दोनों दलों की सत्ता पुराने रूप में कायम नहीं रहेगी, क्योंकि कांग्रेस और लीग दोनों ने अपने-अपने उद्देश्य प्राप्त कर लिए हैं। दोनों दल अब नए-नए विचारों की भित्ति पर खड़े होंगे।

मैं यह कह रहा था कि फर्ज़ करो कि सभा में 150 सदस्य हैं, जिसमें एक दल के 100 सदस्य हैं। वही दल अपने नेता को चुनेगा और वह प्रधान मंत्री होगा। फर्ज़ करो कि दो उम्मीदवार हैं और इनमें जो सफल होता है वह 60 वोटें प्राप्त करता है और शेष 40 उसका विरोध करते हैं, तो भी वह प्रधानमंत्री बन ही जाता है। परन्तु, यदि विरोधी दल के 40 सदस्य शेष 50 सदस्यों से सभा में मिल जाएं, तो फिर क्या फल होगा? उस परिस्थिति में सभा में 60 के विरुद्ध 90 सदस्य हो जायेंगे। फिर वह नेता, जिसकी ओर सभा में अधिक संख्या में भी सदस्य हों, चुना नहीं जायेगा। ऐसी परिस्थिति में यह सम्भव है कि वह पुरुष, जो अन्त में प्रधानमंत्री बनता है, विरोधी वर्गों का पुरुष हो। यह लोकतन्त्रीय सिद्धान्त के विरुद्ध है और यह उस अंग्रेज़ी लोकतन्त्रीय प्रथा के भी प्रतिकूल होगा, जिसकी मैं प्रशंसा करता हूं। मेरा विचार है कि जहां तक सम्भव हो, हमको अधिकतर अंग्रेजी विधान अपनाना चाहिये जिससे भारत का लाभ हो।

मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं। अंत में मुझे यह कहना है कि एक और संशोधन है जिसे सर एन. गोपालस्वामी आयंगर ने पेश किया है और जो पंडित भार्गव के संशोधन के समान है। उसका प्रयोजन भी मन्त्रियों का चुनना और प्रधान मंत्री को नियुक्त करना है। यह इस प्रकार है कि राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री को नियुक्त करें और राष्ट्रपति ही प्रधानमंत्री की सलाह से दूसरे मंत्रियों को नियुक्त करें। इसके अतिरिक्त मन्त्रिमण्डल समस्त सभा के सामने उत्तरदायी होगा। यही प्रथा है जो विलायत की लोक सभा में प्रचलित् है। मैं इस संशोधन का समर्थन करता हूं। मैंने कहा है कि इंग्लैण्ड में इस प्रथा ने बहुत अच्छा काम किया है और कोई कारण नहीं कि हमारे देश में भी यह प्रथा सफल न हो। मैं पंडित भार्गव के भी संशोधन का समर्थन करता हूं।

***श्री एच.वी. कामतः** श्रीमान्, यह खण्ड हमारे भारतीय संघ की शासन-प्रबन्ध सभा का आधार बताता है। संशोधन एक नम्बर 212 और दूसरा नम्बर 221 इस खण्ड के सम्बन्ध में रखे गए हैं और इससे हमारी राष्ट्रीय शासन-प्रबन्ध-सभा निर्बल

[श्री एच.वी. कामत]

होती है। मेरे मित्र श्री क़ाजी और श्री हुसैन ने अमरीका और इंग्लैण्ड के नमूनों की प्रशंसा की है। इस अवसर पर श्रीमान्, हमारा किसी भी पद्धति या प्रथा से, जिसको हम अपने विधान में सम्मिलित करना चाहते हैं, कोई प्रयोजन नहीं है; चाहे वह प्रथा या पद्धति इंग्लैण्ड, अमरीका, रूस, तुर्की या फ्रान्स या किसी और देश की हो। इस समय श्रीमान्, हमको एक ऐसा लोकतन्त्रीय शासन चाहिए जो समर्थ और गतिशील हो। हमें ऐसे ही योग्य और गतिशील शासन की आवश्यकता है, जो हमको उस गड़बड़ी से बाहर निकाल दे, जो हमारे देश में फैली हुई है और जो हमारे इस देश को उस दलदल से--जिसमें यह फंसा हुआ है--निकाल दे। समर्थ और गतिशील लोकतन्त्रीय शासन का सबसे पहला और मौलिक सिद्धान्त, मेरी राय में यह है कि हर एक राजनैतिक विचार-धारा को व्यवस्थापिका में प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, क्योंकि व्यवस्थापिका सभा में एक पुरुष की अपेक्षा दो पुरुष अधिक अच्छे हैं। और दो से बीस, बीस से दो सौ अच्छे हैं। परन्तु, इसके विरुद्ध शासन-प्रबन्ध-सभा के विषय में, विशेषकर जब हम एक समर्थ और गतिशील प्रबन्ध-सभा बनाने चले हैं, तो यह नियम चालू नहीं हो सकता। यहां श्रीमान्, शासन-प्रबन्ध-सभा के सम्बन्ध में यह कहा जा सकता है कि दो सौ से बीस पुरुष सदस्य अच्छे हैं, बीस से दो, और संकट के समय तो दो से एक पुरुष ही कहीं अच्छा है। संकट के समय जब फौरन ही निर्णय करना होता है और फौरन ही कार्य करना पड़ता है, उस समय गतिशील शक्ति की आवश्यकता होती है। और ऐसे समय में दो पुरुष से एक ही बहुत अच्छा है। परन्तु, ये संशोधन शासन-प्रबन्ध-सभा की नींव को कमज़ोर कर देंगे और वास्तव में उसको निष्क्रिय, अस्थायी और गतिहीन बना देंगे और जो कार्य हमारे सामने है उसका सामना करने में वह असमर्थ रहेगी। वास्तव में मन्त्रिमण्डल और शासन-प्रबन्ध-सभा शिव जी की बरात या अजायब घर या कोई खिचड़ी नहीं है, परन्तु वह है मंत्रिमण्डल--जिसे हम वस्तुतः शक्तिशाली बनाना चाहते हैं। यहां इस स्थान में मेरे मित्र क़ाजी ने पंडित नेहरू, जिन्होंने बिहार में जो काम किया है, उसके लिए उनकी प्रशंसा की है। श्रीमान्, मैं चाहता हूं कि हममें से बहुत से लोग मुस्लिम लीग के नेताओं की भी प्रशंसा कर पाते जब कि ऐसी या इससे भी अधिक क्रूर घटनाएं बंगाल और भारत के दूसरे भागों में हुई। यह अच्छी प्रकार मालूम है कि जब यह अत्याचार पूर्वी बंगाल और भारत के दूसरे भागों में हो रहे थे, जबकि मनुष्य काटे जा रहे

थे, स्त्रियों के साथ बलात्कार हो रहा था, बालक अग्नि में जलाये जा रहे थे, उस समय किसी भी मुस्लिम लीग नेता ने अपनी आवाज न उठाई और न कोई मुस्लिम लीग का नेता उन स्थानों में गया और न पंडित नेहरू के समान कार्य किया। क्या यही रीति है, जिसके बल पर हम बलवान और अखण्ड भारत की नींव डालेंगे? क्या यही आत्मिक बल है, जो भविष्य में हमको प्रोत्साहन देगा? कल ही मैंने मुस्लिम लीग के सर्वोच्च नेता का लेख पढ़ा, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान और मुस्लिम भारत का उल्लेख किया था। मुझको तो आशा थी कि पाकिस्तान और भारत में बंटवारा होने के पश्चात् विरोध-भाव दूर हो जायेगा। परन्तु, वही विरोध-भाव अब भी मुस्लिम लीग में देखा जाता है और वह भाव अब तक शान्त नहीं हुआ है। जनता पाकिस्तान और शेष भारत के विषय में ही विचारते...

***अध्यक्षः** माननीय सदस्य को अपने विषय के अन्दर ही रहना चाहिए।

***श्री एच.वी. कामतः** मैं इस बात को समझाने का यत्न कर रहा था कि आज जिस बात की आवश्यकता है वह एकता, कर्म, बलिदान और श्रद्धा का अटल भाव है। विश्व कवि रवीन्द्रनाथ का सुन्दर स्वप्न, जिसको उन्होंने अनुपम सुन्दर शब्दों में चित्रित किया है, हमको कभी भी नहीं भूलना चाहिए। वह स्वप्न भविष्य में हमको प्रोत्साहित करे और हमारा पथप्रदर्शक हो, ताकि हम सब प्राचीन भारत के समान प्रशंसनीय भारत बना सकें और अपने त्यागमूर्तियों के त्याग के आधार पर भारत को सर्वोच्च कर सकें। श्रीमान्, आप मुझे आज्ञा दें ताकि वह शब्द, जिनमें उस सुन्दर स्वप्न का चित्र खींचा गया है, आपके सामने उद्धृत करूं:

"जहां मन निर्भय और सिर ऊंचा रहता है, जहां ज्ञान अज्ञान के अन्धकार से मुक्त होता है, जहां संसार स्वार्थ की तंग भित्तियों से टुकड़ों-टुकड़ों में बंटा नहीं होता, जहां शब्द सत्यता के गर्भ से निकलते हैं, जहां परिश्रम सदैव पूर्णता की ओर चलता रहता है, जहां ज्ञान की निर्मल नदी बनरूपी रीति-रिवाज़ के रेत में लुप्त नहीं होती, जहां मन विशाल विचार और कर्म की और बढ़ा चला जाता है, हे मेरे पिता, उसी स्वतन्त्रता के स्वर्ग में मेरे देश को जागृत कर दे।"

जय हिन्द!

***अध्यक्षः** मैं समझता हूं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू कुछ संशोधनों को स्वीकृत करना पसन्द करेंगे। यदि यह बात है, तो इससे वाद-विवाद कुछ संक्षिप्त हो सकता

[अध्यक्ष]

है। इससे पहले कि वाद-विवाद अधिक बढ़े, मेरी इच्छा है कि वह अपना बयान दें।

***माननीय पं. जवाहरलाल नेहरू:** मैं बीच में हस्तक्षेप करने का साहस करता हूं, ताकि यह बात मालूम हो जाए कि मैं कौन सा संशोधन स्वीकार करने के लिये तैयार हूं और कौन नहीं। चार संशोधन प्रस्तावित किए गए हैं। मैं आदि ही में यह कह सकता हूं कि मैं सर गोपालस्वामी आयंगर के संशोधन को स्वीकार करने के लिए तैयार हूं, और दूसरों के नहीं। पंडित भार्गव का संशोधन थोड़ा-बहुत वैसा ही है, केवल शब्दों में भेद है। दूसरे संशोधनों में बिल्कुल ही भिन्न प्रश्न उठाए गए हैं। उदाहरण के लिए, आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर मन्त्रियों के चुनाव को लीजिए। मेरे विचार में इससे बढ़कर मन्त्रिमंडल और सरकार को निर्बल बनाने वाली और कोई बात नहीं हो सकती। इस कारण मैं चाहूंगा कि सभा इस संशोधन को अस्वीकार कर दे।

दूसरे संशोधन में एक बिल्कुल नई बात उठाई गई है। वह यह कि विधान किस प्रकार का होना चाहिए। उदाहरण के लिए श्री करीमुद्दीन का संशोधन कहता है कि--"संघ की शासन प्रबन्ध-सभा अपरिषदात्मक होगी, इस अर्थ में कि व्यवस्थापिका के कार्य-काल से पहले वह नहीं हटाई जायेगी।" यह बात एक बहुत मौलिक प्रश्न खड़ा करती है और वह यह कि हम अपना विधान किस प्रकार का बनायेंगे? परिषदात्मक मन्त्रिमंडल अथवा अमरीका के ढंग का? अब तक हम वही, वैसा ही विधान बनाने में लगे रहे हैं, जिसमें मन्त्रिमंडल प्रधान है, और मैं यह कह सकता हूं कि हम उससे नहीं फिर सकते; क्योंकि ऐसा करने पर विधान का ढांचा उलट-पुलट हो जायेगा। इस कारण मुझे शोक है कि मैं मि. करीमुद्दीन या पोकर साहब का संशोधन स्वीकार नहीं कर सकता।

यह सच है कि जो असली मस्विदा मैंने सभा के सामने रखा था, वह बहुत से अंशों में स्पष्ट नहीं था। वह इस कारण स्पष्ट नहीं था कि उसे अन्तिम रूप से अपनाने का कोई इरादा नहीं था। अपने भावी मस्विदे के लिए ये चन्द संकेत थे और इसमें अवश्य ही कुछ बातें हैं जो पहले ही तय मान ली गई थीं। यह बात पहले ही मान ली गई थी कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को आमन्त्रित करेगा, क्योंकि वह सभा में सबसे बड़े दल का प्रतिनिधि होगा और यह बात भी तय समझ ली गई थी कि प्रधान मन्त्री अपने मन्त्रियों को चुनेगा और वे सबके सब

व्यवस्थापिका के समक्ष उत्तरदायी होंगे। ये सब बातें पहले ही तय समझ ली गई थीं। परन्तु, यह कह देना ठीक होगा कि सर गोपालस्वामी आयंगर का संशोधन इस बात को बिल्कुल स्पष्ट कर देता है। इसलिए वह संशोधन मैं स्वीकार करता हूं और मुझे आशा है कि सभा भी उसको स्वीकार करेगी और दूसरे संशोधनों को नामंजूर कर देगी।

***माननीय श्री हुसैन इमाम** (बिहार : मुस्लिम): श्रीमान्, इस वाद-विवाद में हस्तक्षेप करने का मेरा कोई विचार नहीं था; क्योंकि इस वाद-विवाद का विषय यह था कि––शासन-प्रबन्ध-सभा परिषदात्मक हो या अपरिषदात्मक (Parliamentary or non-Parliamentary) और यह सिर्फ बहस की बात है, परन्तु यह व्यावहारिक राजनीति नहीं है। क्योंकि, इस समय भारत में अंग्रेजी आदर्श की ओर ही सबका झुकाव है। अमरीका की राज्य-प्रणाली को यहां लागू करने की चेष्टा करना या उसका गुणगान करना व्यर्थ है। विधान बनाए जाते हैं, थोड़े ही काल के लिये; यद्यपि उसमें चिरता या स्थिरता का एक तत्त्व अवश्य रहता है। मैं उस समय तक जीने की आशा करता हूं कि जब मैं अंग्रेजी शासन-आदर्श का नाश देख लूं; अंग्रेजी प्रभाव समाप्त हो रहा है और उसके स्थान में एक अच्छी शासन-व्यवस्था ग्रहण कर ली जानी चाहिए। परन्तु, श्री कामठ के व्याख्यान के कारण मुझको विवश होकर यहां आना पड़ा। मि. काज़ी ने, बिहार में जो पण्डित नेहरू ने काम किया, उसकी प्रशंसा की। मैंने अपने नेत्रों से उनका सब काम और उनकी फटी हुई कमीज देखी। जब विरोधी दल का कोई पुरुष दूसरे की प्रशंसा करता है, तो इस अवसर पर उस दल की निन्दा करना उचित नहीं है। हमारा यत्न यह होना चाहिये कि भेद-भाव न बढ़े और एकता उत्तरोत्तर दृढ़ हो। श्रीमान् कामठ ने कुछ गलत बातें कहने की यहां चेष्टा की है और उनका यह प्रयास असामयिक था। यह कहना असत्य है कि लीग के हाई कमाण्ड ने उन अत्याचारों की बुराई नहीं की, जो गैर-मुस्लिमों पर हुए हैं।

***अध्यक्ष:** मुझे यह प्रतीत हो रहा है कि हम अप्रासंगिक वाद-विवाद करने लगे हैं।

***माननीय श्री हुसैन इमाम:** मैं इस विषय पर वाद-विवाद नहीं करूंगा मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि जो कुछ उन्होंने कहा, वह सच्ची बात नहीं थी। यदि पण्डित जवाहरलाल नेहरू बिहार गए तो उसका कारण यह था कि कांग्रेस का हाई कमाण्ड ही वहां प्रबन्ध करने वाला था और इस कारण उनका वहां जाना

और हस्तक्षेप करना उचित ही था। परन्तु, पंजाब में लीगी दल वहां के मन्त्रिमंडल पर कोई अधिकार नहीं रखता था। पंजाब में सेक्शन 93 के अनुसार शासन था। पश्चिमोत्तर सीमाप्रान्त में कांग्रेस का अधिकार था।

***अध्यक्षः** मैं माननीय सदस्य का इस ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि हम किसी मन्त्रिमंडल या पंडित जवाहरलाल नेहरू या किसी और के आचार-विचार पर समालोचना नहीं करना चाहते। हम यहां केवल विधान के एक साधारण वाक्यांश के विषय में बातचीत करना चाहते हैं। इस कारण वह विधान के सम्बन्ध में ही बातचीत करें, यह प्रार्थना करूंगा।

***माननीय श्री हुसैन इमामः** मैं आशा करता हूं कि जब दूसरे भी प्रसंग से बाहर जायें तो आप उनको भी रोकें। श्रीमान्, मैं यह कह रहा था कि अमरीका की शासन-विधि में बहुत लाभ है, पर इस समय लोग इसे नहीं समझते हैं। मैंने सुना कि हैरल्ड लास्की ने थोड़े ही दिन हुए एक पुस्तक लिखी, जिसमें अमेरिका की शासन-विधि की निन्दा की गई, क्योंकि उसका मन्त्रिमंडल हटाया नहीं जा सकता। उन्होंने अंग्रेजी शासन-विधि की, जिसको हम ग्रहण कर रहे हैं, प्रशंसा की है। इंग्लैंड में मन्त्रिमंडल हटाया जा सकता है और अमरीका में नहीं। इससे दोनों शासनों में कोई बड़ा भेद नहीं होता। बजट के न पास करने का अधिकार जो मंत्रिमंडल के लिए अत्यन्त आवश्यक है, वह अमरीकन और अंग्रेजी दोनों विधानों में कानून बनाने वाली सभा के पास है यद्यपि अमेरिकन विधान में राष्ट्रपति को वोटों का अधिकार भी है। परन्तु उन्होंने नियन्त्रण-मूलक ऐसी व्यवस्था की है, जिनसे कांग्रेस में दो तिहाई अधिकांश वोट पाने पर राष्ट्रपति के वोटों को उल्टा जा सकता है। इसलिए आपने यह अनुभव कर लिया होगा कि दोनों विधानों में कोष पर अधिकार कानून बनाने वाली सभाओं के ही पास है। कानून बनाने के सम्बन्ध में भी यही बात है। कुछ संरक्षणों को छोड़कर व्यवस्थापिका सभा के अधिकार सबसे व्यापक हैं। प्रतिदिन के शासन में इससे कोई विशेष परिवर्त्तन नहीं पड़ता कि किसी मेम्बर या गैर मेम्बर को नियुक्त किया जाए। कुछ सज्जनों ने यह सही कहा है कि संकट के दिनों में एक केन्द्रीय नियन्त्रण कहीं अच्छा होता है, बनिस्पत इसके कि अल्पबुद्धि व्यक्तियों का एक समूह साथ-साथ काम करे और उसमें गड़बड़ ही हो। जब एक विधान संकट के दिनों में लाभदायक हो तो कोई कारण नहीं कि वह शांति के दिनों में उपयुक्त न हो। इसलिए मेरा विचार है कि अमरीकन तरीका, जिसमें राष्ट्रपति को देश की कम से कम 51 प्रतिशत वोट मिलती हैं, वह प्रधानमंत्री की अपेक्षा देश की अधिक सेवा कर सकता है; क्योंकि प्रधानमंत्री

तो केवल अपने निर्वाचन-क्षेत्र और अपनी पार्टी के अधिकांश मेम्बरों का ही प्रतिनिधित्व करता है। मि. तजम्मुल हुसैन ने जो उदाहरण दिया, वह अनुपयुक्त था। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री विरोधी पार्टी और सरकारी पार्टी दोनों से मिलकर चुना जा सकता है। उन्होंने उदाहरण में कहा कि यदि एक पार्टी में 100 सदस्य हों और दूसरी में 50, और लीडर के चुनाव में एक पार्टी (एक सदस्य को) 60 वोट दे और दूसरी 10, तो यह सम्भव है कि एक सदस्य जिसे अपनी ही पार्टी ने परास्त कर दिया, वह दूसरी पार्टी में मिलकर चुन लिया जाए, यद्यपि उसकी अपनी ही पार्टी के अधिकांश सदस्य उसके पक्ष में न हों। यह अनुभव न होने का कारण है कि इन्होंने ऐसा कहा। पार्टियों में जो मतभेद होते हैं, वे औरों को नहीं बताये जाते। कोई सज्जन, जो अपनी पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी से जा मिलते हैं, उनको अपनी पार्टी से कोई वोट नहीं मिलता। आजकल प्रजातन्त्रीय राज्य के दिनों में ऐसा होना असम्भव है। यह सम्भव है कि एक-दो बातें इस प्रकार की कहीं-कहीं हो जायें, परन्तु प्रायः ऐसा नहीं होता है। क्या आप समझते हैं कि विरोधी पार्टी सरकार की पार्टी के छोड़े हुए एक आदमी का साथ देगी। न ऐसा हो सकता है और न ऐसा होने की सम्भावना है। परन्तु, इस पर विचार करने की आवश्यकता है कि प्रधानमंत्री सम्भवतः सभा के अधिकांश सदस्यों का विश्वास न रखता हो। आजकल पार्टी सिस्टम ऐसा है कि यदि आप पार्टी के अधिकांश सदस्यों को अपने पक्ष में ले लें, तो यह निश्चित है कि आपको पार्टी के सब वोट मिल जायेंगे। जो उदाहरण मि. तजम्मुल हुसैन ने दिया है, उसमें जो होगा वह यह है कि जो कोई 150 में से 60 वोट पायेगा, वह अन्त में प्रधानमंत्री बन जायेगा। अब आप चाहते यह हैं कि राष्ट्रपति अपने विचार के अनुसार न चले। किन्तु उस प्रधानमंत्री के कहने पर चले, जिसे 150 में से केवल 60 वोट मिले, यानी 40 प्रतिशत। इस कारण मेरा विचार है कि वह विधान जिसमें राष्ट्रपति को अपने मंत्री नियुक्त करने का अधिकार है, वह अंग्रेजी शासन की नकल करने की अपेक्षा अधिक प्रजातांत्रिक है। अंग्रेजी शासन-विधि फ्रान्स में अनुपयुक्त पाई गई, जहां पर छोटे-छोटे जनसमूह और पार्टियां हैं वहां पर उनको अंग्रेजी विधि बार-बार अनुपयुक्त प्रतीत हुई। अमेरिका में दूसरी विधि है, जिसके अनुसार राष्ट्रपति को अवसर के अनुसार सरकार बनाने का पूर्ण अधिकार है। उदाहरणतः युद्ध के बीच में राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने विपक्षी दल के दो जनों को अपनी राजसभा में नियुक्त किया और उन्हें आवश्यक विभाग दिए। इस प्रकार अमेरिका में मिली-जुली सरकार के वही नियम हैं, जो बर्तानियां में हैं, केवल

[माननीय श्री हुसैन इमाम]

उसके दोष नहीं हैं। एक मिली-जुली सरकार में बहुत से भिन्न-भिन्न समूह होते हैं, जो सब अपने-अपने विचार पर बोलते हैं। मेरा अपना यह विचार है कि अमेरिकन शासन-विधि इतनी बुरी नहीं है, जितनी कि वह बताई गई है। यह कहा जाता है कि वहां सरकार को हटाया नहीं जा सकता (अमेरिका में)। किन्तु वास्तव में सच तो यह है कि अमेरिका में सरकार को बर्तानियां की अपेक्षा अधिक सरलता से हटाया जा सकता है। बहुत से सदस्यों को ध्यान होगा कि कितना शोर-गुल मचा था, जब कि लार्ड टेम्पलवुड् को एबीसीनियां के विषय पर मंत्रिमण्डल से निकाल दिया गया था। किन्तु, अमेरिका में प्रतिदिन एक मन्त्री को निकाल कर दूसरे को नियुक्त किया जाता है। अभी-अभी जनरल मार्शल को नियुक्त किया है और किसी प्रकार का शोर-गुल नहीं मचाया गया। वहां पर किसी को अधिकार नहीं है कि वह राष्ट्रपति के मंत्री नियुक्त करने के अधिकार पर आलोचना करे। मान्यवर, मैं यह नहीं चाहता कि मैं सभा का अधिक समय लूं–अपने भाषण को लम्बा करने के लिए। मैं केवल अपने विचारों को साफ़ कर देना चाहता हूं। यह मेरी पार्टी की नहीं, किन्तु मेरी अपनी भावना है और मैंने यह उचित समझा कि यह अच्छा होगा यदि मैं यह बता दूं कि अमेरिकन शासन-विधि इतनी बुरी नहीं है, जितनी उसके आलोचक बताते हैं।

***श्री महबूब अली बेग साहब बहादुर** (मद्रास : मुस्लिम): श्रीमान् सभापति जी, वाक्यांश 10 जैसा कि सर एन. गोपालस्वामी आयंगर ने बताया है, उस प्रकार का मन्त्रिमण्डल स्थापित करता है जो अंग्रेजी ढंग का है और परिषदात्मक है। काज़ी सैयद करीमुद्दीन का संशोधन इस वाक्यांश में परिवर्त्तन करना चाहता है कि शासन-प्रबन्ध-सभा मिले-जुले ढंग की स्विस देश जैसी हो। अब हमें यह देखना चाहिए कि क्या वैसी शासन-प्रबन्ध सभा, जैसा काज़ी साहब चाहते हैं, लोकतन्त्रीय सिद्धान्त के विरुद्ध होगी या नहीं और वह व्यवहार में लाई जा सकेगी और क्या देश में परिस्थिति के अनुकूल होगी अथवा नहीं? सभा को यह तीनों बातें आगे रखकर इस विषय पर विचार करना चाहिए। अब श्रीमान्, आप भी जानते हैं कि अंग्रेजी पार्लियामेण्ट प्रथा विधान-बद्ध नहीं है। यह तो क्रमागत ऐतिहासिक विकास के परिणामस्वरूप पैदा हुई है। शताब्दियों से राजा और प्रजा के बीच संघर्ष हुआ, जिसमें प्रजा के प्रतिनिधियों ने अधिकतर शासन-शक्ति लेने का प्रयास किया और उससे इस प्रथा का विकास हुआ। यह निःसन्देह सत्य है कि पार्लियामेण्ट के सदस्य चुने जाते हैं और जब सदस्यों का चुनाव हो जाता है तो राजा बहुसंख्यक दल

के नेता को बुलाता है और वह अपना मन्त्रिमण्डल चुन लेता है। सदस्यों का पार्लियामेण्ट के लिए चुनाव होता है, यहां तक तो यह प्रथा लोकतंत्रीय ही रहती है। इसके बाद वह लोकतन्त्रीय नहीं रहती, क्योंकि बहुसंख्यक दल का नेता जिसको चाहे मन्त्री चुन ले। मन्त्री उसी दल से सम्बन्ध रखते हैं जिसे निर्वाचक चाहते हैं। परन्तु, ख़ास-ख़ास मन्त्री पार्लियामेण्ट के सदस्यों द्वारा नहीं चुने जाते हैं। इसके बाद श्रीमान्, सरकार बन जाती है और यह उस समय तक कार्य-निर्वाह करती जाती है जब तक पार्लियामेण्ट इस पर विश्वास करती है। फर्ज़ कीजिए कि पार्लियामेण्ट का कोई दल यदि मन्त्रिमण्डल से प्रसन्न नहीं है तो वह सरकार को निकाल नहीं सकता। यह सम्भव है कि पार्लियामेण्ट के अल्पसंख्यक दल में ऐसे लोग हों, जिनमें बहुत से निर्वाचक, जिसे असली सत्ता प्राप्त है, मन्त्रिमण्डल को हटा नहीं सकते। श्रीमान्, यह बात स्पष्ट है कि ऐसी परिस्थिति में पार्लियामेण्ट का मन्त्रिमण्डल या शासन-प्रबन्ध-सभा लोकतन्त्रीय नहीं रह सकती। पहली बात तो यह है कि पार्लियामेण्ट मन्त्रियों का चुनाव नहीं करती, दूसरी यह कि निर्वाचक लोग उनको हटा नहीं सकते। इसलिए पार्लियामेण्ट का लोक-तन्त्र शासन, जैसा कि इंग्लैण्ड में चल रहा है और जिसको हम यहां चालू रखना चाहते हैं, वह वस्तुतः लोकतंत्र शासन नहीं है। काज़ी साहब के विचारों पर हमको जरा सोचना चाहिए। चुनाव के बाद पार्लियामेण्ट के सदस्य अपने मन्त्रियों को आप ही चुनेंगे। इसलिए श्रीमान्, यह अंग्रेज़ी पार्लियामेण्ट के ढांचे की अपेक्षा अधिक लोकतन्त्रीय है। यहां दो पद्धतियां हैं। एक यह कि पार्लियामेण्ट के सदस्य जनता से चुने जाते हैं और दूसरा यह कि पार्लियामेण्ट के सदस्य, जो जनता के असली प्रतिनिधि हैं, अपने मन्त्रियों को अपने आप चुनते हैं। हमें यह देखना है कि वह ढांचा जो हम इस संशोधन के द्वारा देश की परिस्थिति में लागू करना चाहते हैं, वह क्या सम्भव हो सकता है? मैंने पहले एक बार कहा था कि पार्लियामेण्ट के सदस्यों के चुनाव की प्रणाली और मन्त्रिमंडल ऐसे होने चाहिएं, जिसमें देश के सब ही वर्गों के विचार आ जाएं। असली परिस्थिति की ओर से आंखें बन्द कर लेना उचित नहीं। यह निःसन्देह सत्य है कि जनता को दलों, वर्गों और स्वार्थ-भावों के आधार पर विचार नहीं करना चाहिए। परन्तु; प्रतिदिन हम देखते हैं कि सभा के अन्दर और बाहर लीग और कांग्रेस के दल यही कहते देखे जाते हैं कि थोड़ी संख्या वाली जातियों की, उन छोटी जातियों की जो धर्म के आधार पर बनी हैं, वर्गीय जातियों

[श्री महबूब अलीबेग साहब बहादुर]

की, पिछड़ी हुई जातियों की और उन छोटी जातियों की जो देश के अनेक प्रान्तों में रहती हैं, रक्षा होनी चाहिए। यह सत्य बातें हैं। हमें इनकी ओर से नेत्र नहीं मूंद लेने चाहिएं। अब यदि दल का नेता राज्य के प्रधान द्वारा बुलाया जाता है, तो वह उन पुरुषों की मन्त्री-सभा बनाता है, जो किसी हित या वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं। वह यही करता है। वह ऐसा मर्यादा के बल पर या सद्भाव से करे, मगर होता ऐसा ही है। परन्तु, यदि ऐसा नहीं होता और वह ऐसा करने पर बाध्य न हो, तो श्रीमान्, बहुत असन्तोष और आपत्ति होगी। इसलिए यदि हम मन्त्रिमण्डल बनाने के लिए स्वयं विधान में ही एक लोकतन्त्रीय पद्धति की व्यवस्था कर दें, यानी मन्त्रियों के चुनाव की व्यवस्था कर दें और आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकाकी हस्तान्तरित या अहस्तान्तरित मत-पद्धति से चुनाव की व्यवस्था करें, तो यह सन्तोषप्रद होगा इस तरह बना हुआ मन्त्रिमण्डल लोकतन्त्रीय होगा और उसमें सभी विचारधारा के लोग आ जायेंगे। इसके अतिरिक्त श्रीमान्, प्रतिक्रियात्मक मन्त्रिमण्डल को उखाड़ फेंकना जनता के लिए सम्भव नहीं है। इसलिए हर दशा में मन्त्रिमण्डल जारी रहेगा और यह आशा की जाती है कि वह चार या पांच वर्ष पूरे समय तक जारी रहेगा। इस संशोधन में यह एक लाभ है कि आप अपने मन्त्रिमण्डल में सदस्यों को लोकतंत्रीय प्रथा के अनुसार चुनते हैं और उनको चुनकर उनसे वहां काम जारी रखने को कहते हैं। और वह मन्त्रिमण्डल, जो अंग्रेजी प्रथा के आधार पर चुना जाता है, निकाल दिए जाने के भय से सदा त्रस्त रहता है। सो श्रीमान्, यदि आप ऐसा मन्त्रिमण्डल बनाएं, जो हटाया न जा सके, तो वह अधिक अच्छा कार्य करेगा, योजनाएं बनाऐगा और उनको पूरा करेगा। श्रीमान्, वह स्विस ढांचा कई अवस्थाओं में समाधिक लोकतन्त्रीय है। यह सम्भव है कि देश के सब वर्गों के भाव उसमें शामिल हों। यह भली प्रकार कार्य करेगा और अपनी योजनाओं को पूरा कर सकता है, और देश की आधुनिक परिस्थिति में यही सबसे उत्तम रीति है। इसको यहां चलाने में कोई हानि नहीं होगी। इन रीतियों के सम्बन्ध में यह रखना चाहिए कि स्विस और अमेरिकन रीतियां उन अनुभवों का फल हैं जो लोकतन्त्रीय शासन वाले देशों ने प्राप्त किया था। विधान निर्माताओं का यह दृढ़ विचार है कि अंग्रेजी शासन-प्रणाली लोकतन्त्रीय नहीं है, इस लोकतन्त्रीय शासन में, यानी पार्लियामेण्ट में शक्ति किसके हाथ में रहती है? वास्तव में वह शक्ति प्रधानमंत्री या उसके मन्त्रिमण्डल में रहती है। सभी सदस्य अनुशासन के नाते प्रधानमन्त्री या मन्त्रिमण्डल का अनुसरण करते हैं। यदि ऐसा न करें तो उनके विरुद्ध अनुशासन की कार्यवाही की जाती है। मेरा विचार है कि स्विस रीति, जिसका उल्लेख काज़ी सैयद करीमुद्दीन के संशोधन में किया गया है, प्रशंसनीय और ग्राह्य है।

***अध्यक्ष:** मैं ख्याल करता हूं कि इस खण्ड पर बहुत वाद-विवाद हो चुका। अब मैं चाहता हूं कि इस संशोधन और खण्ड पर वोट लिए जाएं।

***श्री के.एम. मुन्शी** (बम्बई : जनरल): मैं प्रस्ताव पेश करता हूं कि बहस बन्द की जाए।

***अध्यक्ष:** श्री मुंशी ने कार्यवाही को बन्द करने का प्रस्ताव रखा है। मैं समझता हूं कि सभा को यह स्वीकार है। प्रस्ताव यह है कि:

"वाक्यांश 10 के स्थान में निम्नलिखित रखा जाये:

'मन्त्रियों का एक मण्डल होगा, जो राष्ट्रीय-परिषद् द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धान्त के आधार पर एकाकी हस्तान्तरित मत-पद्धति से चुना जायेगा और वह मन्त्रिमण्डल राष्ट्रीय-परिषद् के प्रति उत्तरदायी होगा'।''

संशोधन अस्वीकृत हुआ।

अब क़ाज़ी सैयद करीमुद्दीन के संशोधन पर मत लिया जायेगा। निम्नलिखित अंश वाक्य-खण्ड 10 के अन्त में शामिल किया जाये:

"भारतीय संघ की शासन-प्रबन्ध-सभा अपरिषदात्मक होगी; इस अर्थ में कि व्यवस्थापिका सभा के कार्य-काल के पहले वह नहीं हटाई जायेगी, पर मन्त्रिमण्डल अथवा मन्त्रिमण्डलों के सदस्य को भ्रष्टाचार अथवा राजद्रोह या छल के अपराध के कारण न्यायालय के समक्ष सार्वजनिक दोषारोपण करके हटाया जा सकता है।

प्रधानमन्त्री समूची सभा द्वारा एकाकी हस्तान्तरित मत-पद्धति से चुना जायेगा। मंत्रिमण्डल के अन्य मंत्री एकाकी अहस्तान्तरित मत-पद्धति से चुने जायेंगे।"

संशोधन नामंजूर हुआ।

***अध्यक्ष:** अब मैं सर एन. गोपालस्वामी आयंगर के संशोधन पर वोट लूंगा।

[अध्यक्ष]

"संशोधन यह है कि वाक्य-खण्ड 10 के अन्त में निम्नलिखित शामिल किया जाये:

'राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को नियत करेगा और प्रधानमंत्री की सलाह से राष्ट्रपति दूसरे मंत्रियों को निर्वाचित करेगा। मंत्रिमण्डल पूर्णतया जन-सभा के प्रति उत्तरदायी रहेगा'।''

प्रस्तावक ने इसे स्वीकार किया है।

संशोधन मंजूर किया गया।

***अध्यक्ष:** श्री ठाकुरदास भार्गव का एक और संशोधन है। मेरे विचार में वह संशोधन इसीके अन्तर्गत आ जाता है और यह आवश्यक नहीं कि उस पर वोट लिया जाये। अब मैं असली वाक्यांश पर, जिसमें सर गोपालस्वामी आयंगर के संशोधन से सुधार किया गया है, वोट लूंगा।

खण्ड संशोधित रूप से स्वीकार किया गया।

वाक्य-खण्ड 11

***अध्यक्ष:** वाक्य-खण्ड 11, सर एन. गोपालस्वामी आयंगर!

***सर एन. गोपालस्वामी आयंगर:** मैं वाक्य-खण्ड 11 को उपस्थित करता हूं।

"11. राष्ट्रपति ऐसे एक व्यक्ति को जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश होने के योग्य हो, संघ का सबसे बड़ा वकील बनायेगा और वह संघ-सरकार को कानूनी विषयों पर अपने विचार देगा।"

***श्री गोकुलभाई डी. भट्ट:** अध्यक्ष महोदय, सर अल्लादी जो संशोधन रखना चाहते हैं उसके हक में मैं अपना संशोधन वापस लेता हूं।

***सर अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर:** खण्ड 11 के सम्बन्ध में मैं निम्न संशोधन पेश करता हूं:

"(1) वाक्य-खण्ड 11 में 'referred' शब्द के पश्चात् 'or assigned' शब्द शामिल किये जायें।"

"वाक्य-खण्ड 11 के पश्चात् निम्न जोड़ा जाये:

'राष्ट्रपति द्वारा या इस कानून या किसी संघीय कानून के अधीन प्रदान किये हुए अधिकार से इस एक्ट में या किसी संघीय कानून में वर्णित अपने अधिकारों को प्रयोग में लायेगा और कर्त्तव्यों का पालन करेगा और अपने कर्त्तव्य-पालन के सिलसिले में इसे भारतीय संघ की सभी अदालतों में सुनवाई का अधिकार प्राप्त होगा। एडवोकेट जनरल उसी काल तक पदासीन रहेगा, जब तक राष्ट्रपति चाहेंगे और वही वेतन पायेगा जिसे राष्ट्रपति निश्चित करेंगे'।"

यह केवल रस्मी संशोधन है, क्योंकि कर्त्तव्य तीन प्रकार के हैं। एक तो वह जिनको राष्ट्रपति उसके लिए निर्धारित करेगा, दूसरे वह जो उसके हवाले किये गए हैं। तीसरे वह जो बहुत से कानूनों द्वारा व्यवस्थापिका सभा से स्वीकृत किए गए हैं। व्यवस्था को पूर्ण बनाने के लिए ही मैं इस संशोधन को पेश करता हूं। मुझे आशाा है, इसका कोई विरोध नहीं होगा।

***अध्यक्ष:** वाक्य-खण्ड और संशोधनों पर अब वाद-विवाद हो सकता है।

(कोई सदस्य बोलने के लिए खड़ा नहीं हुआ।)

***अध्यक्ष:** यदि सर गोपालस्वामी आयंगर कुछ कहना नहीं चाहते तो मैं इन पर वोट लूंगा।

***माननीय सर एन. गोपालस्वामी आयंगर:** मैं संशोधन स्वीकार करता हूं।

***अध्यक्ष:** मैं पहले संशोधन पर वोट लूंगा।

"वाक्य-खण्ड 11 में 'referred' शब्द के पश्चात् 'or assigned' शब्द जोड़े जायें।"

"वाक्य-खण्ड 11 के अंत में निम्नलिखित शामिल किया जाये:

'राष्ट्रपति द्वारा या इस कानून या किसी संघीय कानून के अधीन प्रदान किए हुए अधिकार से इस एक्ट में या किसी संघीय कानून में वर्णित अपने अधिकारों को प्रयोग में लायेगा और कर्त्तव्यों का पालन करेगा और अपने कर्त्तव्य-पालन के सिलसिले में इसे भारतीय संघ की सभी अदालतों में सुनवाई का अधिकार प्राप्त

[अध्यक्ष]

होगा। एडवोकेट जनरल उसी काल तक पदासीन रहेगा, जब तक राष्ट्रपति चाहेंगे और वही वेतन पायेगा जिसे राष्ट्रपति निश्चित करेंगे'।''

संशोधन स्वीकृत हुए।

***अध्यक्षः** सुधार किए हुए संशोधन पर अब मत लिया जाता है।

संशोधित खण्ड स्वीकृत हुआ।

वाक्य खंड 12

***माननीय सर एन. गोपालस्वामी आयंगरः** श्रीमान्, मैं खण्ड 12 को पेश करता हूं, जो इस प्रकार है:

"संघीय सरकार की सभी शासन-प्रबन्ध-सम्बन्धी कार्यवाहियों के सम्बन्ध में यह समझा जायेगा कि वे राष्ट्रपति द्वारा की गई हैं।"

व्यवस्था के लिए इस सम्बन्ध में कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है।

(सर्वश्री एम. अनन्तशयनम् आयंगर और क़ाज़ी सैयद करीमुद्दीन ने अपने संशोधन पेश नहीं किए।)

***अध्यक्षः** मेरे विचार में इस वाक्य-खण्ड के सम्बन्ध में और कोई दूसरा संशोधन नहीं है। यदि किसी सदस्य ने इस सम्बन्ध में किसी संशोधन की सूचना दी है, जो मेरी निगाह में न आया हो, तो वह अपना संशोधन रख सकता है।

(कोई सदस्य बोलने के लिए खड़ा नहीं हुआ।)

***अध्यक्षः** चूंकि कोई संशोधन नहीं है, इसलिए मैं वाक्यांश पर वोट लूंगा।

वाक्य-खण्ड 12 स्वीकार किया गया।

वाक्य खंड 13

***अध्यक्षः** अब वाक्य खंड 13 लिया जायेगा।

***श्री आर.के. सिधवा** (मध्य प्रांत और बरार : जनरल): श्रीमान्, 12 (क) का एक नया वाक्य-खण्ड है। यह अतिरिक्त वाक्य-खण्ड, जो मेरे नाम में है, वह इस तरह है:

"वाक्य-खण्ड 12 के पश्चात् निम्नलिखित नया खण्ड जोड़ा जाये:

'12–क. संघ निम्नलिखित बातों के लिए नियम बनायेगा:

(1) समाज-वादी आर्थिक नीति, बड़े-बड़े उद्योग-धन्धों का राष्ट्रीयकरण तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की सहकारिता के आधार पर संचालन।

(2) प्राइवेट स्वामियों द्वारा पूंजी का समीकरण।

(3) शोषण का बन्द करना।

(4) बेकारी को दूर करना तथा हर एक नागरिक को इस बात की गारंटी देना कि उसे काम पाने का अधिकार है।

(5) मनोरंजन, वार्षिक छुट्टियां, प्रसूति के समय में सवेतन छुट्टी, बालकों के हित के काम, विश्राम-स्थान, क्लबें, हर श्रेणी के लिए सुखद निवास-स्थान।

(6) वृद्धावस्था में जीवन-निर्वाह की सुविधा का अधिकार, बीमार में और काम के लिए अयोग्य होने पर कुटुम्ब के निर्वाह का प्रबन्ध, मुफ्त चिकित्सा-सम्बन्धी सहायता...'।"

***अध्यक्ष:** मेरा विचार है कि यह तीसरे भाग के अन्दर आते हैं। जब हम उन पर विचार करना प्रारम्भ करें, तब आप इसको पेश करें। जहां तक मौलिक अधिकारों का सम्बन्ध है, वह सब विधान-परिषद् द्वारा स्वीकार कर लिये गये हैं। अन्तिम रूप से उन पर फिर विचार किया जायेगा। यह तो केवल विधान-सम्बन्धी स्थूल सिद्धांतों के सम्बन्ध में है। अन्तिम वाद-विवाद के समय उन पर जरूर विचार किया जायेगा।

अब श्रीमान् गोपालस्वामी आयंगर वाक्य-खण्ड 13 पेश करेंगे।

***माननीय सर एन. गोपालस्वामी आयंगर:** श्रीमान् मैं खण्ड 13 उपस्थित करता हूं।

[माननीय सर एन. गोपालस्वामी आयंगर]

"13. (क) संघ का कानून-निर्माण-सम्बंधी अधिकार संघ की पार्लियामेण्ट को प्राप्त होगा, जिसमें राष्ट्रपति तथा 'कौंसिल आफ स्टेट्स' और 'हाउस आफ पीपुल्स' इन दो सभाओं वाली राष्ट्रीय परिषद् शामिल रहेंगे।"

इस सम्बन्ध में एक संशोधन की सूचना मिली है। जिसमें कहा गया है कि: "–दो सभाओं वाली राष्ट्रीय परिषद्" शब्द हटा दिये जाएं। अगर ऐसा किया गया तो खण्ड का रूप यह होगा:

"संघ का कानून-निर्माण-सम्बंधी अधिकार संघ की पार्लियामेण्ट को प्राप्त होगा, जिममें राष्ट्रपति तथा 'कौंसिल आफ स्टेट्स' और 'हाउस आफ पीपुल्स' ये दो सभायें शामिल होंगी।"

यह इस वास्ते किया गया है कि भविष्य में संघ की व्यवस्थापिका के बहुत से नाम न हो जायें। संघ की पार्लियामेंट में सभापति और दो सभायें होगी। "राष्ट्रीय परिषद्" यह शब्द वहां इस कारण रखे गये हैं कि वह सभापति को छोड़कर केवल दो सभाओं का निर्देश करें। यह जरूरी नहीं मालूम होता कि "पार्लियामेंट और दो सभाएं" इस वाक्य के बीच में "राष्ट्रीय सभा" शब्द अड़ा दिये जाएं। इसलिये यह उचित मालूम होता है "राष्ट्रीय परिषद्" शब्द दूर कर दिये जाएं और खंड उसी तरह पढ़ा जायेगा, जैसे मैंने कहा है। मेरा खयाल है कि संशोधन की सूचना श्री के. सन्तानम् ने दी है और मैं कहना चाहता हूं कि मैं इसको स्वीकार करने के लिए तैयार हूं।

***श्री आर.के. सिधवा:** श्रीमान्, मेरा संशोधन इस प्रकार है:

"वाक्य-खण्ड 13 में 'संघ की पार्लियामेंट' इन शब्दों के पश्चात् 'जो कांग्रेस के नाम से परिचित होगी' यह शब्द जोड़ने चाहियें।"

मेरा प्रयोजन यह है श्रीमान्, चूंकि हमने स्वतन्त्रता, भारत की राष्ट्रीय कांग्रेस के आश्रय में प्राप्त की है; इस कारण मैं चाहता हूं कि कांग्रेस का नाम हमारे भावी विधान में अमर हो जाए। मैं जानता हूं कि बहुत से सदस्यों की इच्छा है कि अनेक शब्द, जो विधान में प्रयुक्त किए जाएं वह, इस समय छोड़ दिये जाएं; ताकि उन पर फिर विचार किया जाए। इस परिस्थिति में मैं इसको अभी प्रस्तावित

करने का साहस नहीं करता। परन्तु इतना चाहता हूं कि कांग्रेस का शब्द हमारे विधान में अवश्य आ जाए, जिससे यह स्मरणीय नाम हमेशा के लिए अमर हो जाए। क्योंकि इसी नाम के आश्रय में हमने अपने देश में पैंसठ वर्ष तक संग्राम किया है।

***श्री मोहम्मद ताहिर** (बिहार : मुस्लिम): जनाबवाला, मैंने जो तरमीम पेश की है उसमें अल्फाज का ज्यादा लिहाज़ नहीं रखा गया है। चूंकि हम लोग इस वक्त उसूली तौर पर गुफ्तगू करने वाले हैं तो मेरी तरमीम अगर पढ़ी जायेगी तो इस तरह होगी :--"That in Clause 13, for the words 'comprising two Houses, the Council of States and', the word 'namely' be substituted."

मेरा मक़सद इस तरमीम के पेश करने में यह है कि जहां दो असेम्बलियों का ज़िक्र है, ओरिजिनल रिज़ोल्यूशन में यह कहा गया है कि दो मज्लिसें कानून साज़ होनी चाहियें। तो मैं चाहता हूं कि एक ही मज्लिसे कानून साज़ होना चाहिए।

जनाबवाला, इस वक्त हमारे सामने एक नया हिन्दुस्तान है जो यकीनन आज़ादी का सेहरा लिये हुए हमारे सामने है, जब हम इसका दस्तूर बनाने के लिए तैयार हैं तो इस दस्तूर के बनाने में क़बल इसके कि मैं अपनी नाचीज़ ख़िदमात पेश करूं, मैं समझता हूं कि मुझे यह हक़ हासिल है कि मैं यह कहूं कि:

"सारे जहां से अच्छा हिन्दोस्तां हमारा।
हम बुलबुलें हैं इसकी यह गुलिस्तां हमारा।।"

इसके बाद मैं तरमीम के मुताल्लिक यह अर्ज करूंगा कि जबकि हम हिन्दुस्तान के लिए एक दस्तूर बना रहे हैं तो कमज़कम हमारा फ़र्ज है कि यह दस्तूर हम इस तरह बनाएं, इस तरह मुल्क के सामने पेश करें कि हमारे मुल्क की आवाज़ और सारे मुल्क की जनता इस दस्तूर को देखने के बाद यह कहे कि वाक़ई यह दस्तूर हमारा है और हमारे मुल्क का है। इसमें ऐसा न हो कि लोग यह कहें कि अगर वे अंग्रेज हिन्दुस्तान से चले गये, उनकी रूह फिर भी बाकी है। लेकिन इस दस्तूर से साफ मालूम होता है कि अंग्रेजों की रूह अभी तक काम कर रही है। मेरे खयाल में इस दस्तूर को देखने के बाद और यह क्लाज़ जो मेरे सामने है उसे देखकर मैं यह समझता हूं कि वाकई अंग्रेज तो हिन्दुस्तान से जा रहे हैं लेकिन उनकी रूह हिन्दुस्तान में काम कर रही है। दस्तूर बनाने से

[श्री मोहम्मद ताहिर]

पेश्तर जब कोई नया मुल्क पैदा होता है, आज़ादी हासिल होती है तो सब से जरूरी चीज़ जो मेरी निगाह में है वह यह है कि जिस कदर पिछली रवाइयात मुल्क की हुई, जिस क़दर पिछले कांस्टीट्यूशन्स इस मुल्क के अन्दर काम कर रहे हों उनको इस तरह बदल दिया जाये कि मुल्क की ज़हनियत (mentality) ज़माना हाल के मुताबिक हो जाये। हुजूर वाला, आप अच्छी तरह जानते हैं कि ब्रिटिश हुकूमत के जितने सौ साल हमारे हिन्दुस्तान में गुज़र चुके हैं उससे हमारे मुल्क की ज़हनियत (mentality) और कितनी खराब और गुलामाना हो चुकी है। इसलिये दस्तूर बनाते वक्त हमारा यह भी फर्ज़ है कि हम इसको इस तरह बनायें कि हमारी ज़ेहनियत आज़ाद हो जाये और वह (mentality) जो ब्रिटिश गवर्नमेण्ट के वक्त थी उसका वजूद न रहने पाये। मैं यह अर्ज करूंगा कि हर एक मुल्क में मुतफर्रिक ताकतें (forces) बसावकात काम करती हैं। कोई मुल्क ऐसा होता है जहां सोशलिज्म काम करता है, कोई ऐसा होता है जहां कम्युनिज्म काम करता है, कोई ऐसा होता है जहां फैसिज्म काम करता है और बाज मुल्क ऐसे भी होते हैं जहां कैपिटलिज्म काम करता है और उसके साथ में इम्पीरियलिज्म फलती और फूलती है। बदकिस्मती से अंग्रेजों ने इन्हीं दो चीजों–कैपिटलिज्म और इम्पिरियलिज्म के ज़रिये हमारे हिन्दुस्तान को तबाही और बर्बादी के दर्जे तक पहुंचा दिया है। और मैं, हुजूर वाला, यह अर्ज करूंगा कि मौजूदा कांस्टीट्यूशन जो हम लोग बना रहे हैं उसको बनाने से पेश्तर हम हिन्दुस्तान की इस छोटी सी तवारीख जो सन् 1919 ई. से लेकर अब तक हमारी नज़रों से गुज़री है उस पर गौर कर लें। जनाब वाला, आप खयाल फरमाइये कि सन् 1919 से लेकर 1935 के अक्टूबर जिस कदर कांस्टीट्यूशन्स हिन्दुस्तान में बनाये गये हैं वह ब्रिटिश इम्पिरियलिज्म की पैदावार थीं। 1919 में आपने देखा होगा कि लोकल बाडीज़ (local bodies) सेल्फ हुकूमत हिन्दुस्मान को दी गयी। कहने को तो यह सेल्फ हुकूमत थी लेकिन, हुजूर वाला, अगर आप गौर करेंगे तो आपको मालूम होगा कि इम्पिरियलिज्म और कैपिटलिज्म दोनों इसके साथ तेज़ी से काम कर रहे थे। इसलिये वह लोकल बाडीज़ अपने प्रोग्राम के मुताबिक काम नहीं कर सके। यह इसलिए कि इनके साथ-साथ इम्पिरियलिज्म का जोर था और मुल्क की आम जनता अपनी ख्वाहिश और प्रोग्राम के मुताबिक मेम्बर मुन्तखिब करके भेजती थी। मगर नामिनेशन्स के जरिये इनके ज़ोर को कमजोर कर दिया जाता था और यह बुरा तरीक़ा अब तक जारी है। इस तरह मर्कज़ी कौंसिलों के अन्दर और सूबाई कोंसिलों के अन्दर जनता के

भेजे हुए मेम्बरान, अवाम के भेजे हुए मेम्बरान जो चाहते थे उनको नामिनेशन्स के जरिये कमज़ोर कर दिया जाता था और वह अपना सारा प्रोग्राम जो मुल्क की भलाई के लिए पेश करना चाहते थे उनको बिल्कुल नाकामयाबी हो जाया करती थी। यह 1919 की कान्स्टीट्यूशन के मुताबिक काम होता था। खुदा का शुक्र है कि हिन्दुस्तान के अन्दर जबसे इम्पिरियलिज्म और कैपिटलिज्म काम करते थे तो उस वक्त गरीब हिन्दुस्तान की आवाज़ उठाने वाली जमात एक पैदा हो गई जिसने महात्मा गांधी की सरकर्दगी में आवाज़ उठाई और वह आवाज़ इस तरह उठी कि हिन्दुस्तान आज आज़ाद हो गया है। तो क्या आज भी हिन्दुस्तान का यह फर्ज़ है कि वह इस किस्म का दस्तूर बनाये जिससे कैपिटलिज्म और इम्पिरियलिज्म की बू आती रहे और उसकी परवरिश होती रहे? बहर कैफ कुछ हंगामे और कशमकश के बाद 1935 का एक्ट बना। 1935 के एक्ट में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यह देखा कि अब हिन्दुस्तान में जागृति ज्यादा हो गई है और मजबूती के साथ अपनी मांग पेश कर रहे हैं तो उन्होंने 1935 के एक्ट को बदला। प्रोविन्सेज में लेजिस्लेटिव असेम्बलीज़ कायम की जहां सिर्फ अवाम के नुमायन्दे गये ताकि मुल्क का इन्तज़ाम करें। लेकिन असेम्बलियों को कायम करने का क्या फायदा हो सकता था। उसके साथ अपर हाउस और कौंसिल आफ स्टेट्स को जो इम्पीरियलिस्टिक दिमाग का नतीजा था, जोड़ देना लाजिमी करार दिया गया और वह इस तरह जम्हूरियत का समां था जो कि प्रोविंशियल असेम्बली के अन्दर था उसको खाक में मिला दिया गया। और वह इसलिये कि अंग्रेज़ों ने यह जाना कि उनकी सरमायादारी और हैसियत को कायम रखने का इससे बेहतर और कोई दूसरा हरबा इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, क्योंकि अपर हाउस और नामिनेशन्स वगैरह के तरीके ऐसी चीज़े हैं जो इम्पीरियलिज्म की पैदावार हैं। इसलिये जबकि हम आज़ाद हिन्दुस्तान का कान्स्टीट्यूशन बना रहे हैं उस वक्त हमको इन बातों का लिहाज़ और खयाल रखना चाहिये कि कांस्टीट्यूशन ऐसा बनाया जाये जिस पर हमको यकीन हो सके कि कौम और मुल्क उसे मंजूर करेगा और उस पर अमल करने के लिये कोशां होगा। इसके अलावा मैं अर्ज कर रहा हूं कि असूलन अगर हमारे मुअज्जिज़ मुहर्रिक जिन्होंने इस तजवीज़ को पेश किया वह इस बात को मानते हैं कि जब तक दो हाउसेज़ की तशकील नहीं होती उस वक्त तक हिन्दुस्तान, किसी मुल्क का काम सरअंजाम नहीं हो सकता, अच्छे कवानीन नहीं बन सकते, अच्छी कार्रवाईयां नहीं हो सकती। मैं हुजूर वाला से चन्द बातें पूछूंगा। इस वक्त जो असेम्बली बैठी हुई है क्या हिन्दुस्तान में इससे अच्छी जिम्मेवार और

[श्री मोहम्मद ताहिर]

बेहतर असेम्बली कभी थी? मैं अर्ज़ करूंगा कि इस असेम्बली से ज्यादा जिम्मेवार असेम्बली आज तक कभी नहीं बैठी। क्या हम नहीं देख रहे हैं कि एक हाउस से यह सब काम हो रहा है और मुल्क का दस्तूर बन रहा है और इसके चन्द हफ्तों के बाद यही असेम्बली फेडरल पार्लियामेंट का काम करेगी जहां कानून बनेंगे। तो अगर उसूल यह क़रार दिया जाये कि दो हाउसों का बनाना लाज़िमी है तो उनका फर्ज़ होगा कि कांस्टीट्युएंट असेम्बली को डिज़ोल्व कर दें और इसकी तशकील अजसरेनी करें जिसमें दो हाउस हों। अगर मुअज्जिज़ मुहर्रिक उस कांस्टीट्युएंट असेम्बली को दो हाउसों में तकसीम नहीं कर सकते और फेडरल पार्लियामेंट जो बनने वाली है, उसको दो हाउसों में तकसीम नहीं कर सकते तो इससे साफ ज़ाहिर है कि वह खुद इस उसूल को तसलीम नहीं कर सकते कि दो हाउसों का होना जरूरी और लाज़िमी है। बल्कि किसी खास फोर्स से मजबूर होकर जो इनके इर्दगिर्द काम कर रही है और जो सर्मायादारी के साये में काम कर रही है ऐसी तजवीज़ पेश कर रहे हैं। लेकिन मैं अर्ज़ करूंगा कि यह कौंसिल-आफ स्टेट्स और नामिनेशन्स और अपर हाउस वगैरह के जो तरीके हैं वह सब इम्पीरियलिज्म की पैदावार हैं। तो क्या गरीब हिन्दुस्तान आज़ाद होने के बाद भी उन्ही तरीक़ों पर काम करने को जुटा रहे जिनके ज़रिये अखराजात में ज्यादती भी और काम में कोई खूबसूरती न हो? ऐसा न हो कि अंग्रेज हिन्दुस्तान से निकल गये हों और हमारी हुकूमत कायम हो गयी हो और कल अंग्रेज कहें कि हम तो निकल आए हैं लेकिन हमारा काम वहां हो रहा है वह कौंसिल आफ स्टेट्स के ज़रिये से नामिनेशन वाले मेम्बरों के ज़रिये से और अपर हाउस के ज़रिये से हो रहा है।

इन चन्द अल्फाज़ के साथ मैं अपनी तकरीर को खत्म करता हूं। अगर मेरे अल्फाज़ से किसी साहब को तकलीफ पहुंची हो तो मैं मुआफी चाहता हूं।

***अध्यक्ष:** सर बी. एल. मित्तर!

***श्री एस.वी. कृष्णमूर्ति राव** (मैसूर): श्रीमान्, एक व्यवस्था-सम्बन्धी प्रश्न है। 32वें नियम के वाक्य-खण्ड (1) में यह कहा गया है कि एक संशोधन उसी प्रस्ताव से सम्बन्ध रखे, जिसके लिए वह प्रस्तावित किया गया है। छोटी सभा यह शब्द उस प्रस्ताव में नहीं है। जिसके सम्बन्ध में यह संशोधन आया है, जिसका प्रयोजन यही बताना है कि छोटी सभा से क्या मतलब है। इसलिए यह संशोधन अनियमित है।

***सर वी.टी. कृष्णमाचारी** (जयपुर): मैं अभी यही कहने वाला था कि संशोध न पेश नहीं किया जायेगा।

***अध्यक्ष:** इस हालत में व्यवस्था-सम्बन्धी प्रश्न उठता ही नहीं।

(श्री मोहनलाल सक्सेना ने संशोधन पेश नहीं किया।)

***श्री के. सन्तानम्** (मद्रास : जनरल): मैं प्रस्ताव रखता हूं कि वाक्य-खण्ड 13 में "दो सभाओं वाली राष्ट्रीय परिषद्" शब्द हटा दिए जाएं। सर एन. गोपालस्वामी आयंगर ने बता दिया है कि यह शब्द क्यों हटाए जाएं। संघ-विधान-समिति के साथ इस बात में मुझे पूरी सहानुभूति है कि सारे अच्छे-अच्छे शब्द उसमें शामिल किए जाएं। "राष्ट्रीय परिषद्" यह शब्द वास्तव में बड़ा ही सुन्दर लगता है, परन्तु "पार्लियामेण्ट" शब्द भी हमें अवश्य रखना चाहिये। इन दोनों वाक्यों को शामिल करने के लिए उन्होंने एक अच्छा उपाय निकाला है। "राष्ट्रीय परिषद्" इन शब्दों से यह प्रयोजन है कि उसमें दोनों सभाएं सम्मिलित हैं और "पार्लियामेण्ट" इस शब्द में दोनों सभाएं तथा सभापति शामिल हैं। यह उपाय चातुर्य-पूर्ण अवश्य है, परन्तु व्यवहार में बहुत अनुपयुक्त रहेगा। जब इसका हिन्दुस्तानी में अनुवाद करना पड़ेगा, तो कठिनाई अधिक सामने आएगी। "पार्लियामेण्ट" इस शब्द के लिए दूसरा शब्द हिन्दुस्तानी में ढूंढना कठिन है, इसी प्रकार "राष्ट्रीय सभा" इन शब्दों के लिए दूसरा शब्द पाना बहुत ही कठिन काम होगा। इसलिए मैं यह संशोधन आगे रखता हूं।

***अध्यक्ष:** और कोई दूसरा संशोधन नहीं है। अब वाक्य-खण्डों और संशोधनों पर जो प्रस्तावित किए गए हैं, तर्क-वितर्क हो सकता है।

***प्रो. शिब्बन लाल सक्सेना** (संयुक्त प्रान्त : जनरल): श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, इस प्रस्ताव में हमकों दोनों सभाओं–अर्थात नीचे वाली सभा और ऊपर वाली सभा––के लिए वोट देने को कहा है। मैं यह बताना चाहता हूं कि पिछले वर्षों में हमारा अनुभव यह रहा है कि ऊपर की सभा उन्नति के मार्ग में रुकावट रही है। मैं नहीं समझता कि यह उचित होगा कि उसी बात को हम अपने नवीन विधान में रखें। मेरा खयाल है कि संसार में सब स्थानों पर ऊपर की सभा के विषय में ऐसा ही अनुभव रहा है। ऊपर की सभा ने किसी भी देश में उन्नति में हाथ नहीं बटाया है। इसने हमेशा प्रगति के मार्ग में बाधा डाली है। सो यदि

[प्रो. शिब्बन लाल सक्सेना]

हम अभी सावधान न हों तो हम ऐसी जल्दी-जल्दी उन्नति नहीं कर सकेंगे, जैसा कि हम चाहते हैं। भारत संसार में सबसे बड़ा राष्ट्र है। हमें रूस और अमेरीका के साथ मुकाबला करना है, यदि हम अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अपना उचित पद ग्रहण करना चाहते हैं, जो उन्नति साधारण रूप से 50 वर्षों में होनी है, वह हमको 5 या 10 वर्षों में करनी होगी। मैं यह खयाल नहीं कर सकता कि दोनों सभायें तेज़ी के साथ अपने कार्यक्रम पूरा करने में हमारी सहायता करेंगी। इसलिए मेरा विचार है कि प्रस्तावक इस विषय पर विचार करें और यह देखें कि हमारे नए विधान में दोनों सभाएं न हों।

श्री नज़ीरुद्दीन अहमद (पश्चिमी बंगाल : मुस्लिम): अध्यक्ष महोदय, मैं वाक्य-खण्ड के मौलिक स्वरूप का समर्थन करता हूं और दूसरी सभा को हटाने का जो प्रस्ताव है, उसका विरोध करता हूं। हम सार्वभौम सत्ता प्राप्त करने जा रहे हैं। हमें महत्वपूर्ण विदेशी और घरेलू मामलों को निबटाना है, ऐसी परिस्थिति में दो सभाओं का रखना उचित है। नीचे वाली सभा अपनी कर्मशक्ति के लिये प्रसिद्ध हुआ करती है और अर्थ-सम्बन्धी मामलों में उसको एकमात्र अधिकार होगा, परन्तु दूसरी सभा से कार्रवाई में विचार, गाम्भीर्य तथा विवेचन आ जाता है। ऐसी दशा में और विशेषकर जब विदेशी मामले हमारे समाने आयेंगे, हमारे लिये यह उचित है कि हम दूसरी सभा रखें। पूर्ववक्ता ने जो यह कहा है कि दूसरी सभा से लाभ नहीं होगा यह सही नहीं है। मैं खयाल करता हूं कि दूसरी सभा केवल लाभप्रद ही नहीं है, बल्कि नितान्त आवश्यक है।

फिर संघ में रियासतें शामिल होंगी और इसके लिये मेरा खयाल है कि दूसरी सभा बहुत ही आवश्यक है। दूसरी सभा के बिना यह कठिन हो जायेगा कि रियासतों के प्रतिनिधि योजना के सम्मान में किस प्रकार भाग लेंगे?

इन थोड़े शब्दों में मैं उस संशोधन को, जो राज्य-सभा, अर्थात दूसरी सभा को न रखने के लिये रखा गया है, विरोध करता हूं।

***अध्यक्ष:** शायद और कोई बोलना नहीं चाहता। तो अब प्रस्तावक यदि चाहें तो उत्तर दे सकते हैं।

***माननीय सर एन. गोपालस्वामी आयंगरः** श्रीमान्, इस वाक्य-खण्ड के विषय में, जिसका उद्देश्य है कि संघ की व्यवस्थापिका द्विसभात्मक हो, कोई लम्बा-चौड़ा व्याख्यान देने की आवश्यकता नहीं है। संसार में जहां कहीं महत्त्वपूर्ण संघ हैं, वहां दूसरी सभा की आवश्यकता अवश्य ही अनुभव की गई है। हमारे सामने जो प्रश्न उपस्थित है, वह यह है कि क्या इससे कोई लाभ होगा? दूसरी सभा जो ज्यादा से ज्यादा कर सकती है, वह यह है कि बड़े-बड़े मामलों पर मर्यादा पूर्वक वाद-विवाद करे और ऐसे कानूनों को जो तात्कालिक आवेश के परिणाम स्वरूप बन रहे हों, तब तक स्वीकृत होने से रोक दे जब तक कि उन पर शान्ति और गम्भीरतापूर्वक विचार करने का अवसर न मिल जाए। हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि विधान में ऐसी व्यवस्था हो कि जब भी आवश्यक मसलों पर और खास करके आर्थिक प्रश्नों पर 'हाउस आफ पीपुल्स' और 'कौंसिल आफ स्टेट्स' में मतभेद हो तो उस हालत में 'हाउस आफ पीपुल्स' की राय ही मान्य हो। इसलिए दूसरी सभा के अस्तित्व से वस्तुतः हमें एक ऐसा साधन प्राप्त होता है, जिससे जल्दी-बाजी में किए गए काम पर नियन्त्रण आ जाता है और साथ ही ऐसे परिपक्व अनुभव वाले व्यक्तियों को जो राजनैतिक संघर्ष में न रहना चाहते हों, वाद-विवाद में विद्वत्ता-पूर्वक भाग लेने का अवसर मिल जाता है। इसीलिए दूसरी सभा रखने का प्रस्ताव किया गया है। मैं समझता हूं कि बहुमत यह चाहता है कि दूसरी सभा रखी जाए और ऐसी चेष्टा की जाए कि कानून-निर्माण या शासन-प्रबन्ध में वह बाधक न हो। इस खण्ड की सिफ़ारिश में मुझे और कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। खण्ड और संशोधन पर सभा स्वयं विचार करे।

***अध्यक्षः** पहले मैं मि. मुहम्मद ताहिर के संशोधन पर मत लूंगा। वाक्य-खण्ड 13 में "इन दो सभाओं वाली" के स्थान में "इन दो नामों की" शब्द जोड़े जाएं।

संशोधन अस्वीकृत हुआ।

***अध्यक्षः** अब श्री सन्तानम् के संशोधन पर मत लेता हूं। संशोधन यह है कि–वाक्यांश 13 में "–दो सभाओं वाली राष्ट्रीय परिषद्" शब्द हटा दिए जाएं।

संशोधन ग्रहण किया गया।

***अध्यक्षः** अब मैं सारे संशोधित वाक्यांश पर मत लेता हूं।

संशोधित वाक्य-खण्ड 13 स्वीकार किया गया।

वाक्य-खंड 14

***अध्यक्षः** अब हम वाक्य-खण्ड 14 को लेंगे।

***माननीय सर एन. गोपालस्वामी आयंगरः** आपकी और सभा की आज्ञा से मैं खण्ड 14 को केवल रस्मी तौर पर उपस्थित करता हूं और प्रार्थना करता हूं कि इस पर संशोधनों का पेश किया जाना और वाद-विवाद किसी अगले दिन के लिए स्थगित रखा जाये। यह वाक्य-खण्ड व्यवस्थापिका सभा की दोनों सभाओं की बनावट के सम्बन्ध में है। अनेक संशोधन आये हैं और उनसे रियासतों और प्रान्तों की कुछ आवश्यक बातों के विषय में प्रश्न उठाये गये हैं। इन संशोधनों के गुण-दोष के विषय में दर्शकों में बहुत तर्क-वितर्क होता रहा है। यह सम्भव है कि इन वाद-विवादों के फलस्वरूप हम सभा के आगे एक ऐसी चीज़ रख सकें जो सभा के सब विचार वालों को ग्राह्य हो। श्रीमान्, मेरी प्रार्थना है कि इस कार्यवाही को, जिसका मैं सुझाव दे रहा हूं, आप मंजूर करें। यदि आप ऐसा करें तो मैं वाक्य-खण्ड 14 को केवल पढ़कर सुनाऊंगा।

***अध्यक्षः** मेरे खयाल में सभा को इस सुझाव के स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं है कि यह वाक्य-खण्ड आज सिर्फ पेश कर दिया जाये पर इसके विषय में वाद-विवाद किसी अगले समय के लिए स्थगित रखा जाये।

***माननीय सदस्यः** हां, हां!

***माननीय सर एन. गोपालस्वामी आयंगरः** मैं वाक्य-खंड 14 को पेश करता हूं।

14. (1) (क) राज्य सभा में ये शामिल होंगे:

(1) मनोनीत सदस्य, जिनको राष्ट्रपति विश्वविद्यालयों तथा विज्ञान-सम्बन्धी संस्थाओं के परामर्श से मनोनीत करेंगे, पर इनकी संख्या 10 से ज्यादा न होगी।

(2) अंगों के प्रतिनिधि, जो अंग की प्रत्येक 10 लाख की आबादी पर 50 लाख तक 1 प्रतिनिधि के हिसाब से और इसके ऊपर प्रत्येक

20 लाख की आबादी पर 1 प्रतिनिधि के हिसाब से लिए जायेंगे, पर अंग प्रतिनिधियों की कुल संख्या अधिक से अधिक 20 होगी।

व्याख्याः– अंग का अर्थ है, एक प्रान्त या भारतीय रियासत जो अपने निजी अधिकार के नाते संघ की पार्लियामेंट के लिये अपना सदस्य निर्वाचित करता है। भारतीय रियासतों के सम्बन्ध में जिनका 'कौंसिल आफ स्टेट्स' में प्रतिनिधि भेजने के लिये गुट बना दिया गया है, अंग का अर्थ है इस तरह बने गुट से।

(ख) 'कौंसिल आफ स्टेट्स' में आने वाले, प्रत्येक अंग के प्रतिनिधियों का चुनाव उस अंग की व्यवस्थापिका की नीचे वाली सभा करेगी।

(ग) 'हाउस आफ पीपुल्स' में संघीय-प्रदेश-क्षेत्र के बाशिन्दों के प्रतिनिधि होंगे, जिनका अनुपात प्रत्येक 10 लाख की आबादी पर एक से कम न होगा और प्रत्येक 750 हजार की आबादी पर एक से ज्यादा न होगा।

(घ) प्रत्येक निर्वाचन-क्षेत्र से किसी भी समय चुने जाने वाले सदस्यों की संख्या तथा उस निर्वाचन-क्षेत्र की आबादी का, जो सद्यः पूर्व की मतगणना में निश्चित हुई होगी, अनुपात यथाशक्य संघ के सारे प्रदेशों में एक समान होगा।

(2) उपरोक्त प्रतिनिधियों का चुनाव उन व्यवस्थाओं के अनुसार होगा जो इसके सम्बन्ध में परिशिष्ट में दी हुई है। पर, शर्त यह है कि 'हाउस आफ़ पीपुल्स' का चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा।

(3) प्रत्येक दसवार्षिक मतगणना के सम्पन्न हो जाने पर, ऐसे अधिकारी द्वारा, ऐसे तरीकों से तथा उस समय से जैसा कि संघ पार्लियामेंट कानून द्वारा निश्चित करे, दोनों सभाओं में विभिन्न प्रान्तों, भारतीय रियासतों और रियासती गुटों का प्रतिनिधित्व पुनः निश्चित किया जायेगा।

[माननीय सर एन. गोपालस्वामी आयंगर]

(4) 'कौन्सिल आफ स्टेट्स' एक स्थायी सभा होगी, जो भंग न की जा सकेगी, परन्तु जहां तक हो सके लगभग उसके एक तिहाई सदस्य हर दूसरे वर्ष उन व्यवस्थाओं के अनुसार जो इसके लिये परिशिष्ट में दी गई हैं, उससे अलग हो जायेंगे।

(5) 'हाउस आफ पीपुल्स' उस तारीख से जो इसकी प्रथम बैठक के लिये नियत की जायेगी पर चार साल तक, इससे ज्यादा नहीं, चालू रहेगी अगर इससे पूर्व ही भंग न कर दी जाये और उक्त चार साल की अवधि के समाप्त होने पर यह सभा भंग हो जायेगी:

पर, शर्त यह है कि आकस्मिक आवश्यकता के समय उक्त अवधि राष्ट्रपति द्वारा बढ़ाई जा सकती है, पर एक साथ एक साल से अधिक के लिए नहीं तथा किसी भी हालत में, आकस्मिक आवश्यकता की अवधि बीत जाने के बाद 6 माह से अधिक के लिये नहीं।

***अध्यक्ष:** इस खंड पर वाद-विवाद बाद में होगा। अब हम खंड 15 को लेते हैं।

वाक्य-खंड 15

***माननीय सर एन. गोपालस्वामी आयंगर:** श्रीमान्, आपकी अनुमति से मैं यह वाक्य-खंड पेश करना चाहता हूं:

"पार्लियामेंट को बुलाने, स्थगित करने और भंग करने के लिये तथा दोनों सभाओं के पारस्परिक सम्बन्ध को व्यवस्थित करने के लिये और मतदान की विधि, सदस्यों के विशेषाधिकार, सदस्यता-सम्बन्धी अपात्रता, पार्लियामेंट की कार्यविधि, जिसमें आर्थिक प्रश्न-सम्बन्धी विधि भी शामिल है, आदि की व्यवस्था के लिये स्वाभाविक आदेश होंगे। खास करके, अर्थ-सम्बन्धी बिल आवश्यक रूप से निचली सभा में पहले पेश होंगे। ऊपर वाली सभा को अर्थ-सम्बन्धी बिलों में संशोधन रखने का अधिकार होगा। नीचे वाली सभा उन संशोधनों पर विचार करेगी और तत्पश्चात्, चाहे वह संशोधनों को स्वीकार करे या नहीं, बिल को संशोधित रूप में (जब कि संशोधन स्वीकृत हुये हों) या उसको

मौलिक स्वरूप में (यदि संशोधन स्वीकृत न हुये हों) राष्ट्रपति के समक्ष उनकी स्वीकृति के लिये रखा जायेगा और उनकी स्वीकृति मिलने पर वह कानून बन जायेगा। यदि इस बात पर मतभेद होगा कि बिल अर्थ-सम्बन्धी है या नहीं तो 'हाउस आफ पीपुल्स' के अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होगा। अर्थ सम्बन्धी बिलों को छोड़कर अन्य मामलों में दोनों सभाओं को कानून बनाने का समान अधिकार होगा और गतिरोध उत्पन्न होने पर दोनों सभाओं की सम्मिलित बैठक उसका निर्णय करेगी। राष्ट्रपति को राष्ट्रीय परिषद् (National Assembly) द्वारा स्वीकृत बिल को 6 माह के अन्दर पुनर्विचारार्थ वापस भेजने का अधिकार होगा।"

श्रीमान्, ये ऐसे मसले हैं जिनके लिये सभी विधानों में व्यवस्था रहती है और हमारे विधान में इनके लिए पूर्ववत व्यवस्था होगी। इस खण्ड से मस्विदा बनाने वालों को केवल आवश्यक व्यवस्था रखने का अधिकार प्राप्त होता है।

(संशोधन नम्बर 300 और 301 फहरिस्त 2 में संशोधन नं. 27 परिशिष्ट सूची नं. 1 के नहीं पेश किए गए।)

***श्री. के. सन्तानम्:** श्रीमान्, मेरा प्रस्ताव है कि:

"वाक्य-खण्ड 15 में अन्तिम वाक्य के स्थान में यह लिखा जाए:

'अर्थ-सम्बन्धी बिलों के अतिरिक्त और बिल जो राष्ट्रपति के समक्ष उनकी स्वीकृति के लिए पेश किए गए हों, उनको वह पुनर्विचारार्थ संघ की व्यवस्थापिका सभा के पास वापस भेज सकते हैं, पर राष्ट्रीय परिषद् द्वारा स्वीकृत होने के 6 सप्ताह के बाद यह वापस नहीं किए जायेंगे'।''

दो परिवर्तन लाने के लिए ऐसा किया जाता है। वाक्य-खण्ड के अनुसार बिल 6 मास के समय के अन्दर पेश होने चाहिएं। वाक्य-खण्ड में यह शब्द कि "6 मास में फिर विचार के लिए" भ्रम पैदा करते हैं और वह इस प्रकार कि बिल 6 मास के अन्दर पेश होना चाहिए या यह कि 6 मास के भीतर राष्ट्रीय परिषद् का अधिवेशन हो और वह इस बिल पर विचार करे। इसके अतिरिक्त मेरे बहुत

[श्री के. सन्तानम्]

से मित्र 6 मास के समय को बहुत लम्बा समय समझते हैं। इसलिए 6 सप्ताह के अन्दर राष्ट्रपति द्वारा बिल लौटाने का संशोधन यहां रखा गया है।

फिर इस नए वाक्य-खण्ड के अनुसार सभी बिल लौटा दिए जा सकते हैं। यह अर्थ-सम्बन्धी बिलों के सम्बन्ध में बड़ा असुविधाजनक होगा। राष्ट्रपति को यह अधिकार न होना चाहिए कि वह अर्थ-सम्बन्धी बिलों को लौटा दे; क्योंकि सद्यः आवश्यक होने पर सभा उनको पास कर सकती है और उन्हें अन्तिम समझना चाहिए। ऊपर वाली सभा को भी इस बात के लिए समुचित योग्य नहीं समझा गया कि वह अर्थ-सम्बन्धी बिलों में परिवर्तन करे। जब अर्थ-सम्बन्धी बिलों पर पुनः विचार का अधिकार ऊपर वाली सभा से छीन लिया जाता है तो कोई कारण नहीं कि राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया जाए।

श्रीमान्, मैं इसे उपस्थित करता हूं।

***अध्यक्षः** और कोई संशोधन नहीं है। सो, संशोधन और असली वाक्य-खण्ड पर अब वाद-विवाद हो सकता है।

***श्री एम. अनन्तशयनम् आयंगर** (मद्रास : जनरल): मैं संशोधन का समर्थन करता हूं। हमें प्रसन्नता होगी यदि अर्थ सम्बन्धी बिलों के विषय में कोई व्यवस्था कर दी जाए, जिससे राष्ट्रपति द्वारा पुनर्विचारार्थ उसे लौटाने की अवधि में कमी हो जाए। मुझे मालूम है कि बहुत से मामलों में जब केन्द्रीय व्यवस्थापिका ने बिल पास कर दिए तो हमारे अभिप्राय के विरुद्ध कुछ व्यवस्थाएं उसमें आ गईं। एक आर्थिक मामले में भी ऐसा हुआ है कि बजट में, जिसे हमने नामंजूर कर दिया था, एक ऐसी रकम थी जिसे हम नामंजूर करना नहीं चाहते थे और वह ऊपर वाली सभा में गया और फिर गवर्नर-जनरल के हस्तक्षेप पर वहां से दूसरे रूप में वापस आया। बिल में भी बहुत सी गलतियां हो जाती हैं और हम उनको ठीक करना चाहते हैं। परिषद् को अपने आर्थिक बिलों को दुबारा विचारने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। सिवा इसके कि स्थायी विधान में ही कुछ परिवर्तन किया जाए। मेरी समझ में नहीं आता कि आर्थिक बिलों के विषय में भी कोई ऐसा नियम क्यों न बनाया जाए। यह सच है कि राष्ट्रपति को कोई ऐसा अधिकार नहीं होना चाहिए, जिससे वह किसी तात्कालिक आवश्यकता के समय बिल की प्रगति में रुकावट डाले। मैं चाहता हूं कि मस्विदा बनाने वाले, जो बाद में विस्तार

की बातों का समावेश करेंगे, इस बात का ध्यान रखेंगे कि यदि कोई गलती रह गई है तो उसको ठीक करने के लिए यह अधिकार यहां दिया जाए कि बिल 10 दिन के अन्दर, बाद नहीं, वापस भेजा जा सके। अन्यथा किसी जरूरी मामले के विषय में राष्ट्रपति को उस बिल को वापस करने का अधिकार नहीं होना चाहिये। ऐसे मामले छोटी सभा के निर्णय पर पूर्णरूप से छोड़ देने चाहिएं और राष्ट्रपति को ऐसे मामलों में नीचे वाली सभा या ऊपर वाली सभा का स्थान नहीं लेना चाहिए। बिलों को पेश करने के विषय में मैं कह चुका हूं कि ऐसे बहुत से अवसर आते हैं कि जब एक सभा ने जल्दी में कुछ काम किया तो उसे दूसरी सभा ने ठीक कर दिया। ऐसा भी हुआ है कि जब दोनों सभाओं ने किसी मामले पर सोच-विचार कर लिया तब वह पुनः विचार के लिए भेजा गया। गवर्नमेण्ट आफ इंडिया एक्ट में वर्तमान व्यवस्था यह है कि गवर्नर-जनरल कुछ बिलों को सम्राट के विचार के लिए छोड़ रख सकता है और फिर वह बिल इस सुझाव के साथ कि उस बिल में क्या क्या परिवर्तन होने चाहिएं, वापस कर सकता है। वाक्य-खण्ड 15 में जो और बातें शामिल करनी चाहिएं, उनके विषय में मैं कुछ सुझाव पेश करना चाहता हूं। यह वाक्य-खण्ड उतने ध्यान और उतनी सावधानी से नहीं बनाया गया है, जितने दूसरे वाक्य-खण्ड बनाए गए हैं। कई और मामलों का ज़िक्र यहां नहीं किया गया है। मिसाल के तौर पर बजट के तख़मीने के बारे में यहां कोई ज़िक्र नहीं है। वर्तमान एक्ट के अनुसार बजट पहले व्यवस्थापिका सभा के सामने पेश किया जाता है और फिर 'कौंसिल आफ स्टेट्स' के सामने व्यवस्थापिका सभा और कौंसिल आफ स्टेट्स को यह अधिकार है कि वह उसको बदल दे या घटा दे। परन्तु यदि व्यवस्थापिका सभा किसी मांग पर इन्कार कर दे तो 'कौंसिल आफ स्टेट्स' उसको पुनः प्रतिष्ठित नहीं कर सकती। यह प्रसंग ऐसा है कि या तो 'कौंसिल आफ स्टेट्स' को यह अधिकार देना चाहिए और या व्यवस्थापिका सभा से यह अधिकार ले लेना चाहिए। मुझे खेद है कि यह उन विषयों की फ़हरिस्त में शामिल नहीं किया गया है, जिनके लिए और मामलों के साथ में विचार करने की व्यवस्था बनानी होगी। मैं यह भी सुझाव पेश करता हूं कि मन्त्रियों को रखने और बर्खास्त करने के लिये व्यवस्था होनी चाहिए। इस समय उसके लिऐ कोई व्यवस्था नहीं है। हमने अब एक संशोधन के द्वारा व्यवस्था बनाई है, जिसके आधार पर प्रधान मंत्री नियत किया जायेगा जो बाद में दूसरे मन्त्रियों को चुनेगा और फिर राष्ट्रपति उनको स्वीकार करेगा। परन्तु, जहां तक बर्खास्त करने का सम्बन्ध है, कोई व्यवस्था नहीं बनाई गई है। यदि सभा का मन्त्रियों

[श्री एम. अनन्तशयनम् आयंगर]

में विश्वास नहीं है तो राष्ट्रपति उनको अपने अधिकार से हटा सकता है। ऐसी कोई व्यवस्था यहां ज़रूर होनी चाहिए।

एक या दो और मामले हैं, जिनके लिए खण्ड 15 में व्यवस्था अवश्य होनी चाहिए। उदाहरण के रूप में सेक्सन 103 को लीजिए, जिसमें दो या अधिक यूनिटों के लिए समान कानून रखने की व्यवस्था की गई है।

रियासतें और प्रान्त हैं, जो संघ में शामिल होंगे। रियासतों और उनके समूहों के बीच में कुछ-साधारण मामले हो सकते हैं। वह विषय बिल्कुल प्रान्तीय स्वरूप के हों। कुछ भी हो, आसानी के लिए वे दो यूनिट्स चाहेंगे कि केन्द्रीय सरकार कानून बनाए। उनकी मर्ज़ी से केन्द्रीय सरकार कानून बना सकती है। इस बात के लिए यहां कोई व्यवस्था नहीं है।

यदि हम तीनों फहरिस्तों को मान लें, तो इनमें से एक में वह मामले हैं जो खासतौर से प्रान्त के अधिकार में हैं। प्रान्तीय फहरिस्त में कुछ विषय हैं, और अगर दो या तीन समूह एक ही कानून को चाहें, तो उनके लिए विशेष व्यवस्था बनानी चाहिए और अगर कोई अधिकारी उसकी ओर ध्यान देने वाला हो सकता है तो वह केन्द्रीय सरकार ही है जो उन अंगों के सम्बन्ध में एक कानून बना सकती है। विधान में ऐसी कुछ व्यवस्था होनी चाहिए और वह वाक्य-खण्ड 15 में आना चाहिए। मस्विदा बनाने वालों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए।

***एक माननीय सदस्यः** श्रीमान्, मैं जानना चाहता हूं कि यहां एक बात रह गई है और वह शायद भूल से रह गई है। वाक्य-खंड 15 के पिछले भाग में ''राष्ट्रीय परिषद्'' यह शब्द हैं। उसके अनुसार राष्ट्रपति को अधिकार होना चाहिए कि वह परिषद् से पास किये हुए बिलों को वापस कर दे। अभी जब हम वाक्य-खंड 13 का विचार कर रहे थे, तो मालूम हुआ कि शब्द ''राष्ट्रीय परिषद्'' वहां नहीं लिखे गए हैं और उनके स्थान में ''संघ की पार्लियामेण्ट'' यह शब्द लिख दिए हैं। मेरा ख्याल है कि ''पार्लियामेण्ट की दोनों सभाओं'' यह शब्द वहां होने चाहिएं।

***माननीय सर एन. गोपालस्वामी आयंगरः** श्रीमान्, संतानम् के संशोधन को मैं स्वीकार करता हूं। आखिरी वक्ता के शब्दों के सम्बन्ध में मैं बताना चाहता हूं-श्री सन्तानम् ने अपने संशोधन में ''राष्ट्रीय परिषद्'' के स्थान में ''संघ की व्यवस्थापिका सभा' (Federal Legislature) यह शब्द जोड़ दिए हैं। इस

कारण आखिरी वक्ता की आपत्ति संगत नहीं है। कुछ बातें हैं, जिनका ज़िक्र श्रीमान् अनन्तशयनम् आयंगर ने किया है और उनमें से आखिरी बात यह है कि दो अंग (Units) जो ऐसे मामलों के लिए, जो उनके बीच में समान हों, कानून का निर्माण चाहें तो संघ की व्यवस्थापिका सभा के पास इसकी व्यवस्था होनी चाहिए और संघ के दूसरे अंग यदि उस कानून को अपने ऊपर लागू करना चाहें तो कर सकते हैं, यदि उनकी ऐसी इच्छा हो। यह बड़ी ज़रूरी बात है। श्रीमान्, मैं उनको यह आश्वासन दे सकता हूं कि जब विधान बनेगा तो उस समय इस बात के वास्ते और साथ ही उन मामलों के लिए, जिनका संघ के विधान के सिद्धान्तों में जिक्र नहीं किया गया है, व्यवस्था बनाई जायेगी। परन्तु मैं इतना कह सकता हूं कि ऐसे मामलों की व्यवस्था उन प्रतिदिन के विषयों के अन्तर्गत नहीं आ सकती, जिनका उल्लेख वाक्य-खंड 15 में किया गया है। परन्तु मैं उनको विश्वास दिला सकता हूं कि यह विषय जिसका उल्लेख किया गया है, याद रखा जायेगा जब विधान की रचना की जायेगी। मुझे इससे अधिक कुछ नहीं कहना है।

***अध्यक्षः** मैं इस संशोधन पर वोट लूंगा। प्रश्न यह है कि वाक्य खंड 15 में आखिरी वाक्य के स्थान में निम्नलिखित जोड़ा जाये:

> ''अर्थ-सम्बन्धी बिलों के अतिरिक्त और बिल जो राष्ट्रपति के समक्ष उनकी स्वीकृति के लिये पेश किए गए हों, उनको वह पुनर्विचारार्थ संघ की व्यवस्थापिका सभा के पास वापस भेज सकते हैं, पर राष्ट्रीय परिषद् द्वारा स्वीकृत होने के 6 सप्ताह के बाद ये वापस नहीं किए जाएंगे।''

प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया।

***अध्यक्षः** संशोधित वाक्य-खंड 15 पर मैं अब वोट लेता हूं।

संशोधित रूप में वाक्य-खण्ड 15 स्वीकार कर लिया गया।

वाक्य-खण्ड 16

***माननीय सर एन. गोपालस्वामी आयंगरः** अगला वाक्य-खण्ड 16 है, यह भाषा के सम्बन्ध में है।

***श्री एम. अनन्तशयनम् आयंगरः** क्या मैं माननीय प्रस्तावक से प्रार्थना कर सकता हूं कि वह इस वाक्य-खण्ड को अभी पेश न करें। इसे कुछ समय के लिए रोके रखें।

***माननीय सर एन. गोपालस्वामी आयंगरः** मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। परन्तु मैं बताना चाहता हूं कि सम्भवतः यह विशेष मामला इस अधिवेशन में वाद-विवाद के लिए उपस्थित नहीं होगा। यदि सभा की यही इच्छा है कि मैं इस वाक्य-खण्ड को पेश न करूं, तो मैं पेश नहीं करूंगा।

***अध्यक्षः** अभी सुझाया गया है कि वाक्य-खण्ड 16 को इस समय पेश न किया जाए। मैं इस पर वोट लूंगा।

प्रस्ताव यह है कि वाक्य-खंड 16 पर विचार स्थगित रखा जाए।

प्रस्ताव ग्रहण किया गया।

अध्याय 3

वाक्य-खंड 17

***माननीय सर एन. गोपालस्वामी आयंगरः** वाक्य-खंड 17 राष्ट्रपति के उन अधिकारों के सम्बन्ध में है, जिनके बल पर वह पार्लियामेण्ट की छुट्टी के समय में विशेष कानून जारी कर सकते हैं।

''17. (1) यदि किसी समय में जब कि संघ की पार्लियामेण्ट (Parliament) की बैठक नहीं हो रही है, राष्ट्रपति को निश्चय हो जाए कि परिस्थिति ऐसी है जिसमें उनको फौरन कार्य करना चाहिए तो ऐसी दशा में वह विशेष कानून (Ordinance) जो परिस्थिति के कारण आवश्यक हो गया हो, जारी कर सकते हैं।

(2) इस सेक्शन के अधीन जारी किए हुए विशेष कानून को वही बल और प्रभाव प्राप्त होगा जो कि राष्ट्रपति से मन्जूर किए हुए संघ की पार्लियामेण्ट के एक्ट को होता है। परन्तु हर एक विशेष कानून–

(क) संघ की पार्लियामेण्ट के सामने रखा जाएगा। और संघ की पार्लियामेण्ट में पेश होने के 6 सप्ताह बाद प्रयोग में न रहेगा या अगर उस समय व्यवस्थापिका उसके विरुद्ध प्रस्तावों को पास कर दे तो ऐसे प्रस्तावों में से दूसरे प्रस्ताव के पास होने पर वह प्रयोग में नहीं रहेगा। और–

(ख) राष्ट्रपति किसी भी समय उसको वापस ले सकता है।

(3) यदि इस खंड के आधीन कोई आर्डिनेंस (विशेष कानून) ऐसा आदेश रखे या ऐसी सीमा तक आदेश रखे कि उसे संघ की पार्लियामेण्ट इस विधान के अधीन कानून बनाने में असमर्थ हो तो वह रद्द समझा जाएगा।''

इस वाक्य-खंड में राष्ट्रपति को विशेष कानून जारी करने का अधिकार दिया गया है। विशेष कानूनों को बनाने के लिए राष्ट्रपति को सीमित अधिकार देने में कोई आपत्ति नहीं है। विशेष कानून तब ही बनाये जा सकते हैं जबकि व्यवस्थापिका सभा की बैठक न हो रही हो। विशेष कानून जब भी बन जाए तो जितनी जल्दी सम्भव हो उसे पार्लियामेंट के सामने रखना चाहिए और संघ की पार्लियामेंट की बैठक से 6 सप्ताह के बीतने के बाद वह प्रयोग में न रहेगा। यदि राष्ट्रपति यह ख्याल करे कि उसको काम में लाने की आवश्यकता नहीं है, तो इसलिए राष्ट्रपति को अधिकार दिया गया है कि बीच के समय में वह इस विशेष कानून को वापस कर लें। यह अधिकार देना भी जरूरी समझा गया कि जब पार्लियामेंट की बैठक न होगी और कार्रवाई करना तुरंत जरूरी है जिसके लिए पार्लियामेंट की बैठक तक रुकना सम्भव नहीं है तो राष्ट्रपति तुरन्त कार्यवाही कर सके।

***अध्यक्षः** प्रो. शिब्बन लाल सक्सेना!

***प्रो. शिब्बन लाल सक्सेनाः** श्रीमान्, इस संशोधन को पेश करने से पहले मैं एक बात जानना चाहता हूं। मैंने एक संशोधन की सूचना दी थी जो कि आयरलैंड के विधान के ढांचे पर था, उसमें 5 वाक्य थे। उनमें से एक यह था कि भारतवर्ष में गो-हत्या की मनाई कानून द्वारा कर दी जाए। इस छपी हुई फहरिस्त में, जो हमें दी गई है, उस संशोधन का मैं कोई ज़िक्र नहीं देखता।

***अध्यक्षः** श्री शिब्बनलाल सक्सेना का संशोधन, जिसकी उन्होंने सूचना दी थी, विधान के उस भाग से सम्बन्ध रखता है जो पास हो चुका है और जो मौलिक अधिकारों के विषय में है। अन्तिम अवस्था में उन पर वाद-विवाद होगा। इस अवस्था में इसका प्रश्न नहीं उठता।

***प्रो. शिब्बन लाल सक्सेनाः** धन्यवाद श्रीमान्, मैं चाहता हूं कि यह सारा का सारा अध्याय हटा दिया जाए। यह अध्याय राष्ट्रपति के विशेष कानून बनाने के सम्बन्ध में है। मैं ख्याल करता हूं कि गत कई वर्षों के विदेशी शासन और आर्डिनेन्स के शासन के कारण हमको विशेष कानून से शामिल होने की बहुत आदत पड़ गई है और यही कारण है कि स्वतन्त्र भारत के विधान में भी इन

[प्रो. शिब्बन लाल सक्सेना]

विशेष कानूनों (Ordinances) को स्थान दिया है। परन्तु इनसे बुराई की सम्भावना हो सकती है।

श्री जी. सुब्रह्मण्यम् (मद्रास: जनरल): क्या माननीय सदस्य इसको संशोधन के रूप में पेश कर रहे हैं?

***प्रो. शिब्बन लाल सक्सेना:** मैं संशोधन पेश कर रहा हूं। पहले संशोधन पढ़ कर ही सुना देता हूं।

***अध्यक्ष:** यह संशोधन नहीं है। यह मूल प्रस्ताव से उलटा है। जब सब और संशोधन पेश हो चुकेंगे, तब आप बोल सकते हैं। जहां तक मैं देखता हूं यह संशोधन नहीं है।

(श्री मलवादे ने अपने संशोधनों, नम्बर 324 तथा 325 को पेश नहीं किया।)

***श्री एच.वी. कामत:** मुझे मालूम हुआ है, श्रीमान्, कि राष्ट्रपति के तात्कालिक परिस्थिति सम्बन्धी अधिकारों के लिए एक पृथक व्यवस्था की जाएगी। इसलिए इस समय मैं संशोधन नं. 326 को पेश नहीं करना चाहता।

***श्री एच.वी. पातस्कर:** वह संशोधन जो मेरे नाम से है, इस प्रकार है:

''वाक्यखण्ड 17 के उपखण्ड (1) के अन्त में निम्नलिखित आदेश जोड़ दिया जाए:

'पर शर्त यह है कि ऐसे आर्डिनेन्स जारी करने के 6 महीने के अन्दर संघ-पार्लियामेंट की बैठक अवश्य बुलाई जाएगी'।''

जहां तक वाक्यखण्ड 17 का सम्बन्ध है यह राष्ट्रपति को तात्कालिक आवश्यकता के समय विशेष कानून जारी करने का अधिकार देता है। उपखण्ड (2) में यह व्यवस्था की गई है कि इस सेक्शन के अधीन घोषित किए हुए विशेष कानून को वही बल और प्रभाव प्राप्त होगा जो संघ की पार्लियामेंट के एक्ट को होता है। उपखण्ड 2 (क) बताता है कि हर एक ऐसा विशेष कानून संघ की पार्लियामेंट के आगे रखा जाएगा और संघ की पार्लियामेंट की बैठक से 6 सप्ताह के बाद प्रयोग में नहीं रहेगा। माननीय प्रस्तावक ने यह बात स्पष्ट कर

दी है कि जितनी जल्दी हो सकेगा, ऐसा किया जाएगा। मैंने जो संशोधन बनाया वह इसी विचार से रखा है कि विशेष कानून ही घोषणा के 6 मास के अन्दर संघ की पार्लियामेंट का अधिवेशन बुलाया जाए। साल में किसी समय पार्लियामेंट का अधिवेशन होगा। प्रजातन्त्र के लिए विशेष कानून अहितकर होते हैं: जनता के चित्त में जो इस सम्बन्ध में भय है उसको दूर करने के लिए यह आवश्यक है कि यह व्यवस्था होनी चाहिए कि विशेष कानून की घोषणा के 6 मास के भीतर संघ की पार्लियामेंट की बैठक हो तो मैं यह सुझाना चाहता हूं कि जब अन्तिम मस्विदा बने तो सबके हित के लिए व्यवस्था होनी चाहिए। मुझे आशा है कि ऐसा ही होगा मैं इस समय संशोधन को पेश नहीं करता।

***अध्यक्ष:** श्री कामठ!

***श्री एच.वी. कामत:** मैंने संशोधन नं. 326 के सम्बन्ध में जो कहा, उसको दृष्टि में रखते हुए मैं संशोधन नं. 327 को पेश नहीं करता हूं।

(संशोधन नं. 329 और 330 पेश नहीं किए गए।)

***श्री एच.वी. कामत:** श्री पातस्कर के वक्तव्य को देखते हुए संशोधन नं. 331 का प्रश्न ही नहीं उठता।

(श्री सिधवा ने अपना संशोधन नं. 332 पेश नहीं किया।)

***अध्यक्ष:** इस वाक्यखण्ड से सम्बन्ध रखता हुआ कोई दूसरा संशोधन नहीं है, जिसकी मुझे सूचना मिली हो। इस कारण इस वाक्यखण्ड पर अब वाद-विवाद हो सकता है। श्री शिब्बनलाल सक्सेना!

***प्रो. शिब्बन लाल सक्सेना:** श्रीमान्, इस वाक्यखण्ड से राष्ट्रपति को राष्ट्रीय परिषद् के निर्णय के उल्लंघन करने का अधिकार मिल जाता है। हम विशेष कानून के शासन को काफी समय तक देख चुके हैं। मैं चाहता हूं कि अब जब हम स्वतन्त्र भारत का विधान बना रहे हैं तो यह अधिकार किसी को न दें। श्रीमान्, महायुद्ध के समय में अमरीका का राष्ट्रपति और इंग्लैण्ड का प्रधानमंत्री यह अधिकार नहीं रखता था। जब हम अपने स्वतन्त्र विधान के अनुसार चलना प्रारम्भ कर रहे हैं, तो हमको यत्न करना चाहिए कि इन महान् देशों के प्रजातन्त्र सम्बन्धी सिद्धान्तों पर ही हम भी चलें। यह अधिकार यदि एक बार दे दिए जाएं तो अवश्य ये बुराई की ओर ले जायेंगे। यह अधिकार जब दे दिया जाता है। तो प्राय: तुच्छ

[प्रो. शिब्बन लाल सक्सेना]

चीज़ों के लिए भी इसका उपयोग कर दिया जाता है। सत्यतः इसी एक वर्ष में जबसे हमारे मन्त्रियों ने अधिकार प्राप्त किया, हमारे सामने कितने ही विशेष कानून आ गए। इसलिए मैं ख्याल करता हूं कि यदि वह अधिकार दे दिया गया, तो इससे प्रजातन्त्र का मूल अभिप्राय ही जाता रहेगा। मैं ख्याल करता हूं कि पराधीन भारत के निरंकुश तंत्र की इस देन को हमें स्वतन्त्र भारत में न रहने देना चाहिये। हमको यह भली प्रकार सोच लेना चाहिए कि इसको हमारे नए विधान में कोई स्थान न दिया जाए। यदि कोई आवश्यक घटना हुई तो हमारी राष्ट्रीय पार्लियामेंट उसका अवश्य प्रबन्ध करेगी। ब्रिटेन और अमेरीका में किसी ऐसे अधिकार के बिना ही सब कार्य भली प्रकार चलता रहा है; खासकर पिछले महायुद्ध के समय में जबकि इन राष्ट्रों का अस्तित्व संकट में था। वस्तुतः श्रीमान्, चर्चिल ने पिछले महायुद्ध के अन्धकारमय समय में लोक-सभा को सदा साथ रखा। इससे जनता की धीरता बहुत बढ़ी और उसने पूर्णरूप से सरकार की सहायता की। शायद किसी दूसरे मार्ग से इतनी सफलता न मिलती। विशेष कानून का शासन जनता को कभी भी पसन्द नहीं होता। मैं ख्याल नहीं करता कि हमारे प्रधान मन्त्रियों और मन्त्रियों को यह वाक्य-खण्ड अधिक रुचिकर है। मेरा पक्का ख्याल है कि ऐसी व्यवस्था से हमारा विधान ही व्यर्थ हो जाएगा। इसके अतिरिक्त यह उचित नहीं है कि इतने बड़े अधिकार उस पुरुष को दे दिए जाएं जो बालिग मताधिकार के आधार पर नहीं चुना गया है। क्योंकि इससे हमारे सारे विधान का प्रजातन्त्रीय स्वरूप नष्ट हो जाएगा। इसलिए मैं सुझाव रखता हूं कि हमारे नए विधान में इस वाक्य-खण्ड के लिए कोई व्यवस्था नहीं होनी चाहिए।

***श्री एम. अनन्तशयनम् आयंगरः** श्रीमान्, ऐसा मालूम होता है कि पहले वक्ता ने यह सेक्शन भारतीय सरकार के एक्ट में से लिया है और इसको किसी दूसरे वाक्य-खण्ड के स्थान में गलती से समझ लिया है। 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया एक्ट में दो व्यवस्थाएं हैं जो गवर्नर-जनरल को विशेष कानून बनाने का अधिकार देती हैं। पहले व्यवस्थापिका सभा के दो अधिवेशनों के बीच के समय में वह मन्त्रियों की सम्मति के अनुसार ऐसा करता है और मन्त्री उसका उत्तरदायित्व लेते हैं। वह अपने वैयक्तिक निर्णय के आधार पर भी ऐसा कर सकता है। इसका मतलब यह हुआ कि विशेष परिस्थिति में वह अपने मन्त्रियों के निर्णय को त्याग सकता है। परन्तु उनके साथ उसे सलाह अवश्य करनी पड़ती है। दूसरा अवसर जिसमें वह विशेष कानून बनाता है, वह है गम्भीर परिस्थिति का, क्योंकि इस समय

अमन और शान्ति रखने के लिए उसका पूरा-पूरा उत्तरदायित्व है और इसी उत्तरदायित्व को निभाने के लिए वह विशेष कानून बनाता है। इस विशेष कानून की आयु केवल छः मास ही है और फिर सम्राट की अनुमति बगैर वह जारी भी नहीं किया जा सकता। मेरे माननीय मित्र, ऐसा मालूम होता है कि पिछली व्यवस्था को पहली व्यवस्था समझ गए हैं। पहली व्यवस्था उस समय के लिए है जब परिषद् की बैठक नहीं हो रही हो। और यह सम्भव नहीं होता कि एक्ट बनाने के लिए परिषद् का अधिवेशन किया जाए। अतः एक्ट के स्थान में विशेष कानून बना दिया जाता है। मेरे माननीय मित्र ख्याल करते हैं कि राष्ट्रपति इसको अपनी मर्ज़ी ही से बना लेता है। मस्विदे में यह नहीं लिखा है कि राष्ट्रपति अपनी इच्छा से ही विशेष कानून बना सकता है। तो फिर यह मतलब हुआ कि राष्ट्रपति अपने मन्त्रियों की सलाह ही से विशेष कानून बनाता है। इसका यह भी अर्थ हुआ कि इस विशेष कानून का उत्तरदायित्व मन्त्रियों पर ही रहता है और राष्ट्रपति तो केवल रबर स्टाम्प के समान होता है और केवल अपनी स्वीकृति की छाप लगा देता है। व्यवस्थापिका के सम्मुख मन्त्री इसके लिये जिम्मेदार होता है। यह प्रश्न यहां नहीं उठता कि राष्ट्रपति बालिगों की राय से नहीं चुना जाता है, क्योंकि मन्त्री-जिन पर विशेष कानून बनाने का उत्तरदायित्व है, अपने पद से हटाये जा सकते हैं। इसमें कोई आपत्ति नहीं है; क्योंकि हम राष्ट्रपति को कोई उच्छृङ्खल अधिकार नहीं देते और न राष्ट्रपति को अपनी मर्ज़ी से ही इन विशेष कानूनों को बनाने का ज़रा-सा भी अधिकार है। प्रयोजन और कारण के बयान में अर्थात् उस नोट में जो प्रान्तीय विधान के इस वाक्य-खंड में लगा हुआ है—एक मिसाल दी गई है कि लार्ड रीडिंग ने महसूलों के सम्बन्ध में एक विशेष कानून बनाया था। इसकी बहुत आवश्यकता थी। ऐसे और बहुत अवसर होंगे और सरकार से यह अधिकार छीनकर हम अपनी मूर्खता नहीं दिखाना चाहते। इसमें कोई आपत्ति नहीं है, यदि 6 महीनों में व्यवस्थापिका की बैठक बुलाई जाए। व्यवस्थापिका की बैठक के बाद ही मन्त्री एकदम विशेष अधिकार काम में नहीं लायेंगे; क्योंकि व्यवस्थापिका की बैठक में पहले ही एक एक्ट पास करा देते, यदि उनके दिमाग में ऐसा कोई विचार आता। परिषद् की समाप्ति के बाद यदि कोई आकस्मिक स्थिति आ खड़ी हो तो वे इस अधिकार का उपयोग करेंगे और उसके 6 मास बाद व्यवस्थापिका की बैठक होगी ही। इस व्यवस्थापिका की आवश्यकता नहीं है कि विशेष कानून के बनने के बाद 6 महीने के अन्दर व्यवस्थापिका की बैठक अवश्य होनी चाहिये। बहुत से अवसर होंगे, जब छोटी-छोटी बातों के लिए विशेष कानून बनाना पड़ेगा। ऐसे छोटे-छोटे मामलों के लिये व्यवस्थापिका का अधिवेशन

[श्री एम. अनन्तशयनम् आयंगर]

नहीं बुलाया जा सकता। इसलिये मेरा विचार है कि न इस संशोधन में और न उस विरोध में तत्व है, जिसे श्री शिब्बनलाल सक्सेना ने इस वाक्य-खंड के सम्बन्ध में रखा है।

***श्री एच.वी. कामतः** श्रीमान्, मेरा विचार है कि वाक्य-खंड 17 में एक छोटी सी भ्रांति है, जिसे सर गोपालस्वामी, मेरी प्रार्थना है, अपने उत्तर में दूर कर दें। इस वाक्य-खंड में हम राष्ट्रपति और संघ की पार्लियामेंट को दो अलग-अलग चीज़ें समझते हैं। इसके विपरीत वाक्य-खंड 13 में हमने बताया है कि संघ की पार्लियामेंट राष्ट्रपति और दो सभाएं अर्थात् ''कौन्सिल आफ स्टेट्स'' ''हाउस ऑफ़ पीपुल्स'' से मिलकर बनी हुई है। मैं स्वयं यह अनुभव करता हूं, श्रीमान्, कि वाक्य-खंड 13 में ''राष्ट्रीय परिषद्'' इस शब्द का काटना दुर्भाग्य था; क्योंकि यदि हम उसको रखते तो हम दोनों सभाओं को राष्ट्रीय सभा के नाम से कह सकते थे और पार्लियामेंट राष्ट्रपति और राष्ट्रीय सभा इन दोनों से मिलकर बनती। वरना् संघ की पार्लियामेंट राष्ट्रपति और दोनों सभाओं के सम्बन्ध में सारे विधान में भ्रांति पैदा होगी।

***श्री नजीरुद्दीन अहमदः** श्रीमान्, मैं उस आलोचना के विषय में थोड़े से शब्द कहना चाहता हूं, जिसे उस माननीय सदस्य ने किया है जिसने अध्याय 3 को शामिल करने का विरोध किया था। उन्होंने अपने भाषण में एक भावना प्रकट की है जो सभा के सभी सदस्यों के मन में है। वह भाव यह है कि भारत स्वतंत्र होने वाला है, परन्तु उस संशोधन के संबंध में जो दूसरे भाव उन्होंने व्यक्त किये हैं, उनके साथ मेरी कोई सहानुभूति नहीं। माननीय सदस्य का ऐसा ख्याल मालूम होता है कि स्वतंत्र भारत में ऐसे कानून नहीं होने चाहियें। परन्तु हम लोकतन्त्रीय स्वतन्त्रता प्राप्त कर रहे हैं और लोकतन्त्र का अर्थ है—कानून का शासन। माननीय सदस्य विशेष कानून के दुरुपयोग से डर रहे हैं जिसके पिछले संग्राम में हमें काफी अनुभव हो चुका है। मेरा विचार है कि यह भय नहीं होना चाहिये। यह अधिकार हमारे द्वारा निर्वाचित पुरुषों और हमारी पसंद के प्रतिनिधियों द्वारा ही उपयोग में लाया जाएगा और वे निःसंदेह विश्वसनीय मंत्रियों की सलाह से ही काम करेंगे। इसलिये यह अनुमान करना उचित ही है वह अपने अधिकार का बुरा उपयोग नहीं करेंगे। ऐसी परिस्थिति में मैं यही कहूंगा कि उनको अधिकार मिल जाने चाहिएं। परन्तु उस अधिकार का उचित और अनुचित प्रयोग ही असली समस्या है। मेरा ख्याल है कि सरकार को सुगमता से चलाने के लिए इस अधिकार

की आवश्यकता अवश्य है। जब व्यवस्थापिका सभा की बैठक न हो रही हो और जब कोई बड़ी आवश्यकता उपस्थित हो जाए, तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगा? आकस्मिक स्थिति के विषय में यह है कि उनके भेद अगणित हैं। एक संग्राम का गदर या उसी प्रकार की कोई और चीज़ उपस्थित हो सकती है। खाद्य-पदार्थों की कमी और ऐसे ही दूसरे उपद्रव खड़े हो सकते हैं। सम्भव है, उस समय व्यवस्थापिका सभा की बैठक न हो रही हो। अत: राष्ट्रपति को यह अधिकार मिलना चाहिए, जिसको वह जाति के हित के लिए प्रयोग में ला सके। ऐसी दशा में मैं यही कहूंगा कि इस अधिकार का होना बहुत ही आवश्यक है। मैं यह कभी भी नहीं सोच सकता कि उसका दुरुपयोग होगा; बल्कि वह हमारे हित के लिए ही प्रयुक्त किया जायेगा।

माननीय सर एन. गोपालस्वामी आयंगर: मैं अपने माननीय मित्र श्रीमान्, अनन्तशयनम् आयंगर का बहुत अनुग्रहीत हूं कि उन्होंने ऐसी सफलता से संशोधनों और इस वाक्य-खण्ड के पास होने में जो विरोध हुआ, उसका प्रत्याख्यान किया। उन्होंने इन दोनों बातों पर जो कहा उससे अधिक मैं कुछ नहीं कह सकता। मैं उस बात की ओर संकेत करना चाहता हूं जिसका जिक्र भी कामठ ने किया था और वह 'संघ की पार्लियामेंट' इन शब्दों के प्रयोग के विषय में है। यह ऐसा विषय है जिस पर सोच-विचार करना आवश्यक है। राष्ट्रपति विशेष कानून को जारी करता है और यदि वह उसको कानून की दोनों सभाओं के सामने रखता है तो दो स्थितियां सामने आती हैं, जिनको ध्यान में रखना चाहिए। यदि विशेष कानून एक ऐसे मामले से सम्बन्ध रखे जिसके लिए स्थायी कानून बनाना आवश्यक है, तो ऐसा विशेष कानून समूची पार्लियामेंट में मंजूर किया जाना चाहिए, जिसमें राष्ट्रपति भी शामिल हों; क्योंकि यह एक कानून होगा। परन्तु यदि यह ऐसा विशेष कानून है जो केवल अस्थायी काल के लिए है, या यह ऐसी बात है जिसमें व्यवस्थापिका की दोनों सभाएं एक प्रस्ताव द्वारा उसे अस्वीकृत करें, तो ऐसी दशा में इसका प्रयोग बन्द हो जाएगा। उस दशा में शायद ''पार्लियामेंट'' इस शब्द का प्रयोग ठीक नहीं है। परन्तु इस वाक्यांश के शब्दों के सभी पहलुओं पर उस समय विचार किया जाएगा जब विधान पर अन्तिम रूप से विचार होगा।

***अध्यक्ष:** मैं अब वाक्य-खंड 17 पर वोट लूंगा।

वाक्य-खण्ड 17 ग्रहण किया गया।

वाक्य-खण्ड 18

***अध्यक्षः** हम अब अगला वाक्यांश लेंगे।

***माननीय सर एन. गोपालस्वामी आयंगरः** श्रीमान्, हम फेडरल जुडिकेचर के अध्याय 4 को लेते हैं। वह वाक्य-खण्ड, जिसको मुझे पेश करना है, विधान का एक बहुत आवश्यक भाग है। मेरे पास दो या तीन संशोधन हैं और मुझे आशा है कि आप मुझसे सहमत होंगे कि इस खास वाक्य-खण्ड को पेश करने के बाद, इस वाक्यांश के सम्बन्ध में जो और कार्यवाही होगी उसको कल तक के लिए रोक देंगे।

***अध्यक्षः** मैं अभी यह सुझाने वाला ही था कि आप वाक्य-खण्ड और संशोधनों को यथाविधि पेश कर दें और उन पर वाद-विवाद कल हो। यदि वाक्य-खण्ड को आप आज पेश कर सकते हैं, तो संशोधनों को भी पेश कर सकते हैं।

माननीय सर एन. गोपालस्वामी आयंगरः वास्तव में यह सम्भव है कि एक सर्व-सम्मत संशोधन से और सब संशोधनों पर विचार करना जरूरी न रह जाए।

***अध्यक्षः** आप पहले वाक्य-खण्ड को पेश कीजिए।

***माननीय सर एन. गोपालस्वामी आयंगरः** मैं वाक्य-खण्ड 17 को पेश करता हूं:

> ''17. एक सर्वोच्च न्यायालय होगा, जिसकी रचना तथा जिसके अधिकार और अधिकार-क्षेत्र उस प्रकार के होंगे जैसा कि संघ की न्याय-शासन प्रबन्ध सम्बन्धी कमेटी सिफारिश करेगी, सिवा इसके कि सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश राष्ट्रपति द्वारा चीफ जस्टिस तथा सर्वोच्च न्यायालय के और हाईकोर्टों के उन न्यायाधीशों से सलाह लेने के बाद, जो इस काम के लिए आवश्यक हो, नियुक्त किया जायेगा।''

***अध्यक्षः** मुझे दो या तीन संशोधनों की सूचना मिली है। रस्मी तौर पर वे आज पेश किये जा सकते हैं। ऐसा करने से कल का कुछ समय बच जायेगा।

(सर्वश्री जसपतराय कपूर, बी. पोकर साहब बहादुर, के.टी.एम. अहमद इब्राहीम साहब बहादुर, रायबहादुर श्यामनन्दन सहाय और एच.वी. पातस्कर ने अपने संशोधन नं. 333 से 336 तक पेश नहीं किए।)

***श्री के. संतानम्:** मैं प्रस्ताव करता हूं कि वाक्य-खण्ड 18 के स्थान पर निम्नलिखित अंश रखा जाए:

''18. एक सर्वोच्च न्यायालय होगा, जिसकी रचना तथा जिसके अधिकार और अधिकार-क्षेत्र उस प्रकार के होंगे जैसा कि संघ की न्यायशासन प्रबन्ध सम्बन्धी कमेटी सिफारिश करेगी, सिवा इन बातों के सम्बन्ध में:

(क) पैरा 10 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय को जो अतिरिक्त न्यायाधिकार दिये जायेंगे, वह संघ के कानून द्वारा ही दिये जायेंगे।

(ख) सर्वोच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश तथा उसके अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति संघ की पार्लियामेंट की दोनों सभाओं की एक सम्मिलित स्थायी समिति से सलाह लेकर जिसमें 'हाउस आफ पीपुल्स' के 6 सदस्य और 'कौन्सिल आफ स्टेट्स' के 5 सदस्य होंगे, करेगा।

(ग) संघ के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन और पेंशन संघीय कानून द्वारा निर्धारित किये जायेंगे और किसी भी न्यायाधीश के सम्बन्ध में उनमें कोई परिवर्तन न किया जायेगा जिससे उसको नुकसान हो।''

श्रीमान, वाक्य-खण्ड (ख) के स्थान में एक पुनरावृत अंश रखने की सूचना मैंने आज दी है और आपसे अनुरोध है कि इसे कल पेश करने की मुझे अनुमति दें।

***श्रीमती जी. दुर्गाबाई** (मद्रास: जनरल): श्रीमान्, मैं निम्नलिखित संशोधन पेश करती हूं– वाक्य-खण्ड 18 के बाद निम्नलिखित नया खण्ड जोड़ा जाये:

''18 (क) किसी नव-निर्मित प्रान्त में नये हाईकोर्ट स्थापित किये जा सकते हैं, पर जब उस प्रान्त की व्यवस्थापिका इसके लिए गवर्नर से निवेदन करे और वह राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृत हो।''

श्रीमान, मैं आपकी अनुमति चाहूंगी कि इस पर बाद में वाद-विवाद हो।

***अध्यक्ष:** यह एक स्वतन्त्र खण्ड है और इस पर हम स्वतन्त्र रूप से विचार करेंगे। ठीक 1 बजा है। अब हमारी बैठक कल प्रात: 10 बजे तक के लिए स्थगित रहेगी।

***सर अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर:** आज प्रात: काल मैंने एक संशोधन की सूचना दी थी। क्या मुझे उसे पढ़ने की आज्ञा है, श्रीमान्?

***अध्यक्ष:** हमने सभा स्थगित कर दी है। इस पर हम कल विचार करेंगे।

तत्पश्चात् मंगलवार, 29 जुलाई 1947 ई. के 10 बजे के लिए सभा स्थगित हुई।